खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-05) अंक-95

बृहस्पतिवार 03 जनवरी, 2019 / 13 पौष, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-05) में अंक 93 से अंक 95 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2019 / 13 पौष, 1940 (शक) अंक–95

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–27
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	28–47
4.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	47–48
5.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	48–50
6.	संकल्प (पाँचवे वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट पर विचार और अंगीकृत करने पर)	50–60
7.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (व्यावसायिक सम्पत्तियों की सीलिंग के कारण दिल्लीवासियों के सामने आ रही समस्याएँ तथा इनसे राहत देने के लिए संसद द्वारा उपयुक्त कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में।)	61–92
8.	वक्तव्य (दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन लि. के चौथे फेज़ के संबंध में)	92–123

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2019 / 13 पौष, 1940 (शक) अंक–95

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल
19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री आदर्श शास्त्री
25. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
24. सुश्री भावना गौड़
25. श्री सुरेन्द्र सिंह
26. श्री विजेन्द्र गर्ग
27. श्री प्रवीण कुमार
28. श्री मदन लाल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्रीमती प्रमिला टोकस
31. श्री नरेश यादव
32. श्री करतार सिंह
32. श्री प्रकाश
33. श्री अजय दत्त
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री अमानतुल्लाह खान
40. श्री राजू धिंगान
40. श्री मनोज कुमार
41. श्री नितिन त्यागी
43. श्री एस.के. बग्गा
44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
45. श्रीमती सरिता सिंह
46. मो. इशराक
46. चौ. फतेह सिंह
47. श्री जगदीश प्रधान
48. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2019 / 13 पौष, 1940 (शक) अंक–95

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएँ।

श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, आज श्रीमती सावित्री बाई ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है। उनका जन्म 3 जनवरी, 1831 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। वे महान भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री थी। उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है। अपने पति श्री ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत मे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुणे मे लड़कियों के पहले स्कूल की भी स्थापना की। उन्होंने जाति

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

तथा लिंगभेद के आधार पर लोगों के साथ किए जाने वाले अन्याय तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। वे महाराष्ट्र में समाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण हस्ती मानी जाती हैं। जनसेवा के प्रति उनके समर्पण का उल्लेखनीय प्रमाण यह है कि दिनांक 10 मार्च, 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करते हुए उनका देहांत हो गया। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सावित्री बाई फुले को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

मुझे सिरसा जी से, जगदीप जी से 'साहबजादों की शहादत' के विषय में बोलने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है। सिरसा जी से मैं एक थोड़ी सी प्रार्थना करूँगा की दो मिनट का मौन जहाँ तक मैंने देखा अरदास की जाती है गुरूद्वारे में, शहीदों के लिए, तो दो मिनट का मौन मुझे उचित नहीं लगता, आप अपनी बात रखें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्योंकि नये साल में हमारे इस सदन में छुट्टी रही और आज नये साल के और पहले दिन हमारा ये सदन है। हम सभी जानते हैं गुरू गोविंद सिंह साहिब महाराज जी के।

माननीय अध्यक्षः मैं एक प्रार्थना करूँ बड़ा गंभीर विषय है आप ये उतार कर पढ़ें तो अच्छा लगेगा। फिर पहन लीजिएगा, ये जो गले में है। ये शहादत का विषय है। उसकी गंभीरता को समझें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, सोचा मैंने ये था लेकिन मैं भूल गया। अच्छा किया, आपने याद करा दिया।

माननीय अध्यक्षः मैंने याद दिला दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अच्छा किया, धन्यवाद जी। उतार दूँ और भी कुछ उतार दूँ?

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये जैकेट कहा था न आपने, उतारो।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी आप शुरू करिए प्लीज। भई माननीय सदस्यगण ये गंभीर विषय है थोड़ा प्लीज, चलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गुरू गोविंद सिंह साहिब महाराज जी के चारों साहिबजादे शहादत को प्राप्त हुए और ये ऐसी लासानी शहादत जो है, दुनिया में दूसरी नहीं है। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जूझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी इनमे से बड़े साहिबजादे जहाँ जंग मे जूझते हुए शहीद हुए, वहीं छोटे साहिबजादों को जिनकी आयु केवल 9 और 7 वर्ष की थी और उनकी दादी माता गूजरी कौर जी के साथ उस वक्त के मुगल साम्राज्य ने, वजीर खान ने उनको कैद किया। सरहद के नवाब वजीर खान की कचहरी में जब उनको पेश किया गया, उन्हें हर तरह की धन–दौलत के लालच दिये गये और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए हर तरह से दबाव, मारने तक का नवाब वजीर खान ने उन्हें यह भी कहा की यदि आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको सजा ए मौत दी जाएगी लेकिन गुरू साहिब के छोटे साहिबजादों ने अपने पिता गुरू गोविंद सिंह साहिब महाराज जी की राह पर चलते हुए उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए शहादत को मंजूर

किया लेकिन अपने धर्म से मुँह नहीं मोड़ा। आज दुनिया के अंदर दुनिया के लोग ऐसी शहादत को नमन करते हैं। छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और ये फतवा जारी किया गया सरहद के उस वक्त के नवाब द्वारा कि इनको जिंदा दीवार में चिनवाकर शहीद किया जाए। गुरू गोविंद सिंह साहिब जी के बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी शहादत दी उनके चारों साहिबजादों ने जो धर्म के लिए, मानवता के लिए और जोर जबर के खिलाफ जो बड़ी शहादत दी, आज हम सब इस सभा के अंदर उनकी इस महान शहादत को नमन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं, हमारे देश के अंदर, हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ उनकी इस महान शहादत को याद रखेगी, वहीं उनके द्वारा दी गई शहादत के जो सही मायने थे, वो थे मानवता की सेवा के प्रति और जोर जुल्म के खिलाफ जो उन्होंने दी थी, हम सब लोग मिलकर उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें, ऐसी मैं उम्मीद और कामना करता हूँ।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का इस पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी ये 26 व 23 से लेकर 28 तक पौष के महीने मे ये शहादत मनाई जाती है। अध्यक्ष जी, आप तो पंजाबी हैं, पंजाब युनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, पंजाब के लोग तो कभी मंझे पर भी नहीं सोते थे, इस पौष के महीने मे इसीलिए शादियाँ भी नहीं की जाती थी। सारे ही पंजाबी शादी नहीं करते थे। कोई खुशी का काम नहीं करते थे। तो मैं आपसे भी जरूर आग्रह करूँगा अगर आप भी इसको ऐसा कर सकें कि कभी भी विधान सभा का सत्र जब भी इन दिनों के बाद आए और उनके लिए परमानेंन्टली

ऐसा किया जा सके कि हम उनको याद कर सकें, तो ये बहुत अच्छा होगा। आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद बहुत–बहुत। जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे छोटे साहबजादों की शहीदी और माता गूजरी जी की शहीदी पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

सर, गुरूतेग बहादुर साहब जी ने एक बात लिखी थी कि 'शीश दिया पर सिर न दिया।' सिक्खिज्म में बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढाई गई कि बच्चों को कि शीश दे देना है लेकिन अपनी सिद्दक नहीं छोड़नी और 23 दिसम्बर को बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जो बड़े साहब जादे थे, वो इसी बात को लेते हुए जंगे मैदान में शहीद हुए और 28 दिसम्बर को बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावार सिंह जो बिल्कुल ठीक बताया सिरसा जी ने जिनकी उम्र आठ साल से भी कम थी दोनों दीवार में चुनवा दिये गए। ये बड़े दुःख की बात है लेकिन सिक्खिज्म में इतनी शहादतें हुए हैं, इतनी शहादते हुई हैं कि इनके दादा जी ने अपना सिर दे दिया। पिता ने पहले ही कह दिया था कि पूरा सरवंश वारूंगा लेकिन ये हिन्दूइज्म की रक्षा करूँगा। जब कश्मीरी पंडित गुरू तेगबहादुर साहब जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि एक महान आत्मा को बलिदान देना पड़ेगा, तब हिन्दूज्म बच पाएगा। तो गुरू गोविन्द सिंह बहुत छोटी उम्र में थे। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा था कि पिता जी, आपसे बड़ी कौन कुर्बानी दे सकता है। आपसे बड़ी महान आत्मा कौन हो सकती है और गुरू तेग बहादुर जी ने गिरफ्तारी देकर उनके

साथ 50 हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी जिसमें पैदा हुए बच्चे भी थे, उन्होंने भी शहादत दी और गुरू साहब की अपनी शहादत हुई। और चारों साहबजादे और ठंडे बुर्ज में आप सोचिए 28 दिसम्बर को जब हम लोग रजाईयाँ ओढ़कर हम लोग सो रहे होते हैं और कई लोग हीट कन्वर्टर आजकल चलाकर सो रहे होते हैं, उस वक्त इतनी ऊपर जाकर ठंडा बुर्ज है, वहाँ माता जी को रखा गया था। जहाँ पर ठंड की वजह से उनकी शहादत हो गई। ये बहुत बड़ी शहीदियाँ हैं। इस पर सब, मैं ये बोलूँगा कि एक बार खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें, पूरी विधान सभा और ये जो है, उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक बहुत बड़ा नमन होगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अवतार सिंह जी।

......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा। दो लोगों का नोटिस प्राप्त हुआ था। दो लोगों को बोलने दें। उनका बधाई संदेश के लिए प्राप्त हुआ है। मैं कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ।

सरदार अवतार सिंह कालकाजीः अध्यक्ष जी, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। आज मौका दित्ता कि पहला धनवाद करदा मैं कि विधान सभा दे विच हुणे लास्ट टाइम गुरू नानक साहब जी दा प्रकाश पर्ब मनाये गए सान साढे पंज सौ सालां नूं मुख रख्दे ओए ओदा मैं बहोत बहोत धनवाद करदा, बहोत अच्छे माहौल दे विच ओथे प्रोग्राम होया ते दिल्ली विधान सभा वधाई दी पात्र है जिन्हां ने बहोत एक अच्छा कदम

चुक्या और गुरू नानक साहब नूं याद किता गयाँ दूसरा, गुरू गोबिन्द सिंह जी दी प्रकाश पूर्ब दी मैं सारयाँ नूं बहोत बहोत लख लख वधाई देनां कि आज गुरू गोबिन्द सिंह दा प्रकाश पूर्ब दे इस उपलक्ष विच सिक्ख जगत नूं समुह गुरू नानक नाम देवां नूं समूह देशवासियाँ नूं बहोत बहोत वधाई देनां। पर अध्यक्ष जी, गुरूबाणी विच आंदै जन्म मरण दोहों में नाहिं, जनपरोपकारी आई। खालसा पंथ दे विच कोई जनमदै या कोई मरदै ओदा कोई सोक ते कोई खुशी नहीं, जे खुशी है ते कोई गम नहीं, जे गम है ते कोई खुशी नहीं। ते खालसा पंथ दे विच मैं हुण गल्ल किती सी सहबदा दी गल चल रही, मैं छोटी जी गल जरूर करना चाहवांगा कि जो सबहजादे शहीद हुए, उस दे वास्ते अपणा जो बाद विच जो शहीद होण तो बाद जो अपणा उणां दा संस्कार करना सीगा, मैं उस दे बारे वी दसणा चाहणां हाँ कि अपणा टोटल मर–जी पहलां तां भाई अपणा मोती मेहा विच जाके उनां नूं अपणा ठंडे बोरे ते जा के अपणा दुध पिलांदेसी गरम गरम ते उणां मैं शार्टकट दसां गा क्योंकि विधान सभा दा समया कीमती वी है, ते उदे विच जाके मोती मेहरा जी नूं जेड़ा गन्ने विच अपां रस पीसदे हाँ जी नी, गन्ने विच रस कडदे हाँ, उस कोल्हू दे विच उनां दे उत्थे पूरे परिवार नूं जेड़े अपणा गुरू गोबिन्द सिंह जी दे बच्चयाँ नू जाके दुध पिलांदे सीगे, उना दे पूरे परिवार नूं कोल्हू विच पीसया गया, बिल्कुल ओदा परिवार खतम कर दिता गया जो मोती मेहरा जी सी उना दा परिवार।

दूसरा जदो गुरू गोबिन्द सिंह दे बच्चयाँ दा संस्कार करना सी ते ओद वास्ते वी जगहां लैणी सी गी, ओ जगहह जेड़ी बहोत कीमती सी ओ जगह सी सिरहांदी ए सब तो कीमती जगहां है जो अपणा टोडरमल शाह

जी ने जो अपणा जदो ओनू कया गया कि ओथे संस्कार करणा है ते ऐदे वास्ते तुहानूं कोई अगर माया देणी पयेगी और ओदे वास्ते सोने दियाँ मोहरां जदो ओनां ने विछा के भी सोने दी मोहरा विछा दो ते तां तुसी संस्कार कर सकदे हो ऐदा। जदो ओना ने सारा अपणा टोडरमल जी जेड़े सी, उनां दे परिवार दे विच बैठ के सलाह किती तो जनां सारा सोना कठा किता, मोहरां विच्छाईयां, ते मोहरा विछा के जदो उनां ने विछा दित्तियाँ ते कहंदे नहीं जी, ए मोहरा खड़ियाँ करके देओ, ते ओ मोहरां खड़ियाँ करके विछाईयाँ गईयाँ उस वकत दे हिसाब नाल बहोत कोस्टली जमीन सीं गी। इहदे विच कला अपणा साहबजादे दी गल करदे हाँ ओथे नाल टोडरमल जी दी गल करनी पैंदी है, मोती मेहरा जी दी गल वी करनी पैंदी एँ इन्हां ने बहोत वडा कुर्बानी किती उस वकत, उस समय दे हिसाब नाल ओ मोहरां विछा के उनां दा संस्कार किता गया साहबजादेयाँ दा। ते ए सिरसा जी ने गल किती सी अपणां जगदीप जी ने, तो ए बड़ा क्योंकि अगर गल करिए क्योंकि मानवता दे भले वास्ते सारी गल होंदी एँ जे कोई कुर्बानी आए ते मानव दे भला वास्ते गल होईए ते ए सारा जेड़ा हिस्टरी है, अच्छा हिस्टरी नूं मैं अगर थोड़ा जा बयान करां कि गुरू गोबिन्द सिंह जी दे जेड़े बच्चे सीगे ओनां वास्ते जदो अजीत सिंह, झुझार सिंह वास्ते इक कविता मैं जरूर सुनाणा चाहवांगा, तुहानु पता लगेगा कि किना जज्बा होंदा कि किस जो अपणा देश वास्ते या कौम वास्ते लड़णा होवे ते ओ अपणा किस तरां जोश भरदै, किदा सिक्ख कुर्बानी देंदे ने, मैं ओदे वास्ते दो लैनां गा के सुनाणा चाहवांगा तुहानु, जे इजाजत होए तुहाडी?

माननीय अध्यक्षः सुनाइए, सुनाइए।

सरदार अवतार सिंह कालकाजीः गोडे पा के तीर कमान सतगुरू लगे आप सजाण जोड़ी प्यार दी।

ओ निके सूरमे अजीत ते झुझार दी
मोटे पाके तीर कमान सतगुरू लगे आप सजाण जोड़ी प्यार दी
ओ निके सूरमे अजीत ते झुझार दी
सतगुरू आक्खे अ चन्न गयो तार ओ जाके जांग विच
हिम्मतां न हारेयो
सतगुरू आक्खे अ चन्न गयो तार ओ जाके जांग विच
हिम्मतां न हारेयो
ओए ऐसा बैरियाँ ते हल्ला ऐसा बैरियाँ ते हल्ला मारो
खेंच के तीर ए कमान दी
ओ मोटे पाके तीर कमान सतगुरू लगे आप सजाण जोड़ी प्यार दी
ओ निके सूरमे अजीत ते झुझार दी।

बस मैं इनां कैहणा चाहवांगा जदो इतिहासकार ओनूं गांदे ने ते जोश अपना पैदा होंदै कुर्बानी देण वास्ते हमेशा तैयार रहंदे ने। बहोत बहोत धनवाद अपणा तुस्सी मैंनूं समे दिता बोलन दा, अध्यक्ष जी, ओ सारेयाँ नूं इक वारि फिर गुरू गोबिन्द सिंह जी दे प्रकाश पूर्व दी बहोत बहोत वधाई, वाहे गुरू जी दा खालसा, वाहे गुरू जी दी फतह।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। 280।

......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट भई नितिन जी, दो मिनट रूकिए। नितिन जी, दो मिनट बैठिए प्लीज।

......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए, दो मिनट बैठिए।

......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट, बैठिए प्लीज। कमांडो जी, बैठिए। क्या कहना चाह रहे हैं सिरसा जी? जगदीप जी, आप तो बैठिए, आप बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, पहले तो रूल 245 में नोटिस दिया था, आप उसको देख लीजिए।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं थोड़ा जानकारी में दे दूँ। आपको आप माननीय सदस्य हैं विधान सभा के, आपको नियम पढ़ लेने चाहिए और नियम बिना पढ़े आपको बलि का बकरा बनाया गया है तो ये उचित नहीं है।

......(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुझे कोई बलि का बकरा नहीं बनाया।

माननीय अध्यक्षः सुन लीजिए बात को, एक बार सुन लीजिए, मैंने सुन लिया है। पढ़ के...

......(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे तो बदनाम किया गया है।

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमारा इतना कहना है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं एक ही बात... आपकी बात सुनूँ? विजेन्द्र जी, पहले निर्णय कर लीजिए दोनों में से किस की बात सुनें। आप निर्णय कर लीजिए, आप निर्णय कर लीजिए दोनों में से कौन बोलेगा पहले। वो बोल रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ। जो उनका नोटिस आया है, उसी पे बात, जो उन्होंने नोटिस दिया है उसी में, आप बीच में बोल रहे हैं। ये उचित नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं। हम बताते हैं जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं उस पे व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने 245 पे कहा...

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरी बात को सुनें। मैंने इसीलिए क्योंकि आपने टाइम पीरियड का फ्रेम था इसलिए...

माननीय अध्यक्षः भइया, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 54 में भी यही लगाया है।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ...में भी यही लगाया है।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ...में लगाया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वाजपेयी जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी, जी।

माननीय अध्यक्षः आपका जो नोटिस मुझे मिला है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर उसकी रूलिंग पहले पढ़ लीजिए। उसकी रूलिंग ये है कि 14 दिन से पहले स्वीकार...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम 54 इसीलिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ...भी साथ साथ बात करो।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हमने 54 इसीलिए लगाया है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा सदन। ऐसे नहीं चलेगा सदन। ये सदन ऐसे नहीं चलेगा। मेरे पास दोनों आए हुए हैं। पहले उनका लगा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप 54 लगा लीजिए। ये तो टाइम बाउण्ड नहीं है न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पहले उनका वो आया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, 54 तो टाइम बाउण्ड नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है सिरसा जी, नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्यार से। बैठ जाइए दो मिनट। आपका जो नोटिस मेरे पास पहले आया है, मैं उसको पहले ले रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः लीजिए।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। उसी नोटिस में व्यवस्था दे रहा हूँ। नेता विपक्ष जी को समझा दीजिए जो पहले आया है, जिस डेट...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो अपनी जगह है।

माननीय अध्यक्षः डेट बता...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो आपके खिलाफ हैं।

माननीय अध्यक्षः 24 तारीख को मेरे पास पहला नोटिस आया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी।

माननीय अध्यक्षः उसमें क्लियर है इस बुक में।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 14 दिन का टाइम है।

माननीय अध्यक्षः 14 दिन का समय है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है, अगले हाउस में ले लेंगे।

माननीय अध्यक्षः सेशन...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगले में ले लेंगे।

माननीय अध्यक्षः जब 14 दिन का है तो उसपे बात करें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये छोड़ दिया मैने, अगले में लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किस में?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप 85 में...

माननीय अध्यक्षः अरे! विजेन्द्र जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप?

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ...कंट्रोल करते हैं न टाइम।

माननीय अध्यक्षः क्या बात कर रहे हैं आप? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या तमाशा है ये? आप जब भी आरोप लगाते हैं। आप इस्तेमाल करते हैं क्या तमाशा है ये? नहीं क्या तमाशा है ये? नहीं क्या तमाशा है ये? आप क्या समझते हैं? आप हर चीज में अपना इस्तेमाल करते हैं। अधिकार इस्तेमाल करते हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने फ्रेम में लगाया है।

माननीय अध्यक्षः तमाशा है ये!

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपको लगता है रूल 14 दिन का, 280 का टाइम कंडोन कर दीजिए अध्यक्ष जी। आप इसका टाइम कंडोन कर दीजिए। आप नहीं कंडोन करना चाहते, आपकी मर्जी। आपको कंडोन करना चाहिए। आप हमारी भावना समझिए।

माननीय अध्यक्षः मैंने व्यवस्था दी है इस किताब में जो कानून की व्यवस्था है, वो मैंने दी है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः जिसको नेता विपक्ष जी बार बार दिखाते हैं, मैंने उस पे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप टाइम तो कंडोन कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः किस पे?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः टाइम तो कंडोन करना आपके...

माननीय अध्यक्षः नहीं, 14 दिन हो जाएँगे, सेशन में आएगा ही आएगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चलो, तो 289 पे भी यही है।

माननीय अध्यक्षः अब दूसरा सुन लीजिए, दूसरा सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दूसरा, जो आपका है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 89 पे?

माननीय अध्यक्षः 89 पे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 84 में जिसमें आप सुनना चाहते हैं, उसमें सुनें। आप 54 में ले लीजिए। आप 54 में ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 54 में...

माननीय अध्यक्षः मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। व्यवस्था सुन लीजिए। व्यवस्था सुनने को तो तैयार हो जाइए आप।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी, जी।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष, श्री जगदीश प्रधान, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा श्री ओम प्रकाश जी, जो अनुपस्थित हैं, से नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण तथा श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से नियम–89 के अन्तर्गत संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि आज की कार्य सूची में विशेष उल्लेख तथा सरकारी कार्य के अलावा...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इससे क्या...

माननीय अध्यक्षः केवल एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक चर्चा को सम्मिलित किया गया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आपका हमारा सारा कभी सुना है आपने हमारा?

माननीय अध्यक्षः मैं कोई और विषय...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, पिछले...

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आप वैल में आए हैं। आप वैल में, आप वैल में आए हैं, मैंने बहुत सुना है। जितना समय आप, आप अपनी सीट पे जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप सीट पे जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, दो साल में जो मेरा आपने एक भी सवाल बता दीजिए।

माननीय अध्यक्षः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वैल में कोई नहीं आएगा, वैल में कोई नहीं आएगा। कोई सदस्य वैल में नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स! मार्शल्स! बाहर करिए। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, वैल में कोई नहीं आएगा। बाहर करिए, बाहर करिए। जो वैल

में हैं, बाहर करिए। मैं नितिन जी, मैं वार्निंग... जो वैल में आएगा मैं बाहर कर। हाँ, वहाँ बैठिए। मैं बाहर करूँगा जो भी वैल में आएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप वैल में आए हैं। बाहर करिए, करिए बाहर। मैं पूरे दिन के लिए विजेन्द्र गुप्ता जी, सिरसा जी को, जगदीश जी को बाहर करता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

सदन अपराह्न 2.46 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। 280।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कमांडो जी प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात है। मैं आपके

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, दो मिनट दे दीजिए, बस दो मिनट। दो मिनट में मैं पूरी कर लूँगा।

माननीय अध्यक्षः बोलिए, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, अभी–अभी आपने देखा कि विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे और उनको हक है, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा हक है इस हाउस के अंदर। वो तीन हैं... चार हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, नियमों के अनुसार रखनी चाहिए। विपक्ष की आवाज बुलंद होनी चाहिए। उनको आपने 280 से पहले आपने उनको बात रखने का मौका दिया, उन्होंने रखी। कई सदस्यों ने रखी। उसके बाद वे दुबारा खड़े हो गए। उन्होंने दुबारा अपनी बात रखी। आपने उसके ऊपर अपनी जो रूलिंग है, वो दी। रूलिंग लेने के बाद वो लोग वेल में आ गए। वेल में हंगामा शुरू किया। हंगामे के बाद जब इतनी बार वार्निंग दी गईं, उसके बाद भी मार्शल्स को बुलाया गया और नम्बर एक तो मार्शल्स देर से आए, आपके बुलाने के तुरंत बाद मार्शल्स नहीं आए। मार्शल्स सोचते रहे कि हम आएँ या न आएँ । जब मार्शल्स यहाँ पर आ गए तो मार्शल्स उनसे विनती कर रहे थे कि ''साहब, चलिए। साहब, चलिए। साहब, चलिए।'' ये करीब तीन–चार मिनट का ये जो है, ये चलता रहा कि ''साहब, आप चलिए। आप चलिए।'' वो नहीं गए। फिर विजेन्द्र गुप्ता जी शायद थोड़ा सा चले गए। आप ही उठकर चले गए इतनी देर में। फिर सिरसा जी ने यहाँ पर गुत्थम–गुत्था की, मार्शल्स से। लोगों ने विडियोज भी बनाई हैं, वो सबके पास हैं। इन्होंने बकायदा मार्शल्स से हाथापाई की, गाली गलौज की। फिर ये वहाँ पर वेल पर यहाँ पर आकर बैठ गए। अध्यक्ष जी, हम

सब लोग यहाँ पर हैं, हम सब इन कुर्सियों पर बैठते हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मार्शल जब उनको यहाँ से इधर से ले जा रहे थे, तो सिरसा जी की पैर इस कुर्सी के अंदर यहाँ पर कैसे फंस सकता है, ये कैसे हो सकता है? उनको तो सीधा–सीधा अपने रास्ते से जाना चाहिए, या मार्शल्स को उनको उठाकर ले जाना चाहिए। मगर उनको मौका दिया गया, वो अपनी यहाँ कुर्सी पर आए उधर और उन्होंने कुर्सी के अंदर, लकड़ी के अंदर अपने पैर को जान–बूझकर फंसा लिया। अब आपने अगर अपना पैर ऐसे फंसा लिया और आप फिर दूर होकर उसको स्ट्रेच कर लेंगे अपने पैर को, तो जाहिर सी बात है आपका पैर नहीं निकलेगा। आप कह रहे हो कि मेरे को हिलाओ मत, मेरा पैर बाहर निकालो। मतलब ये जो पूरा का पूरा, यहाँ पर इन्होंने ये पूरा पूरा ये ड्रामा मुझे लगता है कि कहा जाएगा कि इसको लगकर चीखें मार रहे हैं यहाँ पर कि मेरे को ये कर लिया, मेरे को ये कर लिया और पुलिस वाले भी उनके ऊपर सख्ती नहीं दिखा रहे है। पुलिस वाले कह रहे हैं, ''भाई साहब, चलो, मान जाओ चलो, चलो मान जाओ।'' मार्शल्स–पुलिस वाले जो हैं।

मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर दिल्ली पुलिस है तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस यहाँ पर सेंट्रल गवर्मेंट की प्रतिनिधि नहीं है, हाउस की प्रतिनिधि है। तो उनको इनके साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए और जो स्पीकर कहें, वो बात इनको माननी चाहिए। वो चीज नहीं होती दिख रही, मुझे ऐसा लगा।

दूसरी बात ये कि इन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का–मुक्की की, गाली गलौज की। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधा–सीधा पूरे

हाउस की अवमानना है और मुझे लगता है कि सरकारी अफसर के साथ उसकी डयूटी के अंदर दखलंदाजी करना है, उसको अपनी डयूटी रोकना है और उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना है।

तीसरी बात, अध्यक्ष जी, और उसके लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत गम्भीर हूँ, मुझे लगता है हाउस को भी इसको गम्भीरता से लेना चाहिए, हमारे पास वीडियो है, उस साक्ष्य की। जब इनको लगा कि अब इनका पैर पुलिस वाले निकाल रहे हैं उसमें से बाहर, तो इन्होंने चीखें मारना शुरू किया, हाय! मेरी पगड़ी मत निकालो, हाय! मुझे बेइज्जत मत करो, हाय! मेरी पगड़ी मत निकालो। विडियो है हमारे पास अध्यक्ष जी, इनकी पगड़ी के पास तो किसी का हाथ है ही नहीं और पुलिस वालों को किसी भी धर्म के, किसी भी चिन्ह से कोई लेना–देना नहीं होता और ये इस तरीके से कह रहे हैं मेरी पगड़ी निकाल दी है। मेरी पगड़ी मत निकालो, मत निकालो, खुद अपने हाथ से पगड़ी निकाल दी। मतलब ये जो है, ये मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है! बहुत ही घटिया बात है! एक धर्म का इस्तेमाल करके आप अगर असेम्बली पे दबाव बनाना चाहते हैं, पुलिस पे दबाव बनाना चाहते हैं और एक झूठा नाटक, मतलब इस कुर्सी के नीचे कहाँ पैर फंस सकता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी, आज तक किसी सदस्य का पैर इस कुर्सी के नीचे फंसेगा। ये कुर्सी जब यहाँ से उठाई जाती है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी संक्षेप करिए, सौरभ जी, संक्षेप करिए प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाजः यहाँ पे एक जगह है जहाँ आप पैर फंसा सकते हो। तो आपने वहाँ पर पैर जानबूझ के फंसाया और पूरा का पूरा ये ड्रामा

किया। मुझे लगता है अध्यक्ष जी, इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम नहीं तो दो सेशन के लिए इनको आप सस्पैंड कीजिए यहाँ से वर्ना ये यहाँ पे आ के यही ड्रामा करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मदन जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। अब बैठिए, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपकी भावनाएँ समझ रहा हूँ बैठिए। ये सारा समय इस चर्चा पे चला जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावतः सर, जब वो जा रहे थे तो इन्होंने, आप इसको अभी चैक करा लो, इन्होंने बहुत तेज धक्का दिया और ये मेज टूट गई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई नितिन जी, क्या है ये?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नाम लूंगा तब वो माईक चलाएगा जिसका नाम लूँगा। जिस माननीय सदस्य...

श्री नितिन त्यागीः जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं, माईक क्यों नहीं चलाएगा।

माननीय अध्यक्षः तो मैंने नाम लिया मदन जी का। मैंने नाम लिया।

श्री नितिन त्यागीः इनके माइक ऑन कैसे हैं?

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मदन जी, बैठिए प्लीज, हो गई बात। बैठिए प्लीज, बैठिए। सहरावत जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ रहा हूँ। जिस ढंग से विपक्ष का रवैया पिछले चार साल में रहा है, अत्यंत निंदनीय है। जिनके नेता ही बेंच पर खड़े हो जाएँ तो उनके साथियों से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है, कि वो सदन में मर्यादित व्यवहार करेंगे! मेरे बार–बार वार्निंग देने के बाद भी वेल में आना, सौरभ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है मदन जी की भावना मैं समझ रहा हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत है; छोटन को अपराध बड़न को माफी, मैं सौरभ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ... एक सैकंड नितिन जी, मुझे बात कर लेने दीजिए, प्लीज। मुझे बात कर लेने दीजिए, ऐसे नहीं। सौरभ जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के विषय में मैं इतना कहूँगा कि मेरा मन अपने आप में बहुत पीड़ित है, उनकी आवाजें अपने कक्ष में बैठा सून रहा था। मैं समझता

हूँ कि कभी–भी किसी भी सदन में इस ढ़ंग का दिल्ली में नहीं हुआ होगा, किसी भी सेशन में कि मेरे आदेश के बावजूद भी वो बाहर नहीं गए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि मार्शल्स उनको घसीट कर ले जाए। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी लेकिन फिर भी सौरभ जी की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं सौरभ जी से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने इस प्रस्ताव को कृपा वापस लें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, छोड़िए वो।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः अकेले सौरभ जी का प्रस्ताव नहीं है सर, पूरे सदन का प्रस्ताव है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए मदन जी, प्लीज बैठिए। दिल्ली की जनता देख रही है क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, बैठिए। ये विषय... जिस ढ़ंग से वो यहाँ फैले रहे, नारेबाजी की, बेंच तोड़ने की बात है ये सारा विषय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए मैं प्रिविलेज कमिटी को सौंप रहा हूँ।

नियम 280 के अंतर्गत श्री जगदीप सिंह जी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा जितना लिखा हुआ है, उतना बोलें ताकि सबके सब ले सकें।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने 70 विधायक चुनके इस विधान सभा में भेजे हैं, इसी तरीके से सात लोकसभा मेंबर भी जो हैं, हमारे पार्लियामैंट में पहुंचे हैं और आज अगर हम दिल्ली की सड़कों की हाल देखें जहाँ पर लैक ऑफ लॉ एग्जीक्यूशन दिखाई देता है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी ने जो वहाँ पर एक इतना ज्यादा एक तांडव सा मचाया हुआ है और मुझे दुःख है कि पिछले साढ़े चार साल में किसी एमपी ने लोकसभा में इस बात को नहीं रखा, दिल्ली के अस्पतालों में जाने के लिए एम्बुलेंस जो है, रोड पे बहुत तेजी से सायरन बजाती रहती है लेकिन ट्रैफिक पुलिस वहाँ नजर नहीं आती, कोने में एक पेड़ के नीचे देखते हैं, हम लोग तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटती हुई नजर आती है। जहाँ पर उनकी ड्यूटी सिर्फ चालान काटना नहीं, उस ट्रैफिक को मेन्टेन करना भी है। जो सड़कें आज सिर्फ पाँच से दस की स्पीड पे रह गई हैं और अगर हम बात करें कि 'सन मैग्जीन' ने बहुत साल पहले लिखा था कि दिल्ली में ट्रैफिक को, अगर ट्रैफिक पुलिस ढ़ंग से अगर नहीं कंट्रोल करेगी तो आज 15 की स्पीड है, कल पाँच की स्पीड रह जाएगी। एक आदमी पैदल जो है, वो चल के जल्दी पहुँच जायेगा। हम लोग अपनी गाड़ी या स्कूटर से जल्दी नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था; ये तीन डिपार्टमैंट हैं।

इसी तरीके से एमसीडी जो कि 2004 के बाद कोई भी लीगल केयोस्क अलाऊड नहीं किया गया लेकिन ईलीगल केयोस्क से पीडब्ल्युडी की सड़कें

भरी हुई हैं। वहाँ जा के बहुत बार कमिश्नर से बात की गई है। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है, लाईसेंसिग जिसके हाथ में ये डयूटी होती है कि वो सारे केयोस्क को चैक करे और वहाँ पर सिर्फ लीगल केयोस्क लगायें और उनको रेगूलेट करे, वो बिल्कुल उन्होंने उस चीज को नजर अंदाज किया गया। आपने इस बात को मॉनिटरिंग कमिटी में भी आपने रखा, जहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के कमिश्नर बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि मैं करके दूँगा लेकिन आज भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। इनके साथ दिल्ली पुलिस भी इसी तरीके से मिली हुई है जो कि जगह–जगह पर बीस–बीस फुट बाहर दुकानें लगवाने को अलाऊड किया हुआ है। जहाँ पर बुजुर्ग आदमी जो है, जिसका राईट टू वॉक उसका एक अधिकार है, वो बिचारा पटरी से उतर के गाड़ियों से बचता बचाता हुआ किसी तरीके से वो रोड पर चल रहा होता है और...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, जगदीप जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री जगदीप सिंहः मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ सर। जहाँ पर ट्रैफिक इतना स्लोडाउन हो जाता है तो वहाँ पर पैट्रोल का धुआँ भी बहुत उड़ता है जिसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सर, मेरी आपसे एक ही आग्रह है, इनको आप विधानसभा में बुलायें, ट्रैफिक कमिश्नर को, एमसीडी कमिश्नर को और पुलिस कमिश्नर को आप इनसे संज्ञान लें कि ये इन रोड्स को अच्छे से क्यों नहीं मैनेज किया जा रहा है। जिस भी कमिटी को आपने इस ईशू को फॉरवर्ड करना है, प्लीज इसको फॉरवर्ड करें। नहीं तो बहुत सारे लोग... मरीज अपना ऐम्बुलेंस में जो हैं, जान दे देते हैं और वो हस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे लोग

जो हैं तीन–तीन घंटे, चार–चार घंटे जाम में फंसे रहते हैं। बहुत ज्यादा ये दिल्ली में असमंजस की एक सिच्युएशन हो गई है इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आप तीनों को बुलायेंगें तो आपका बहुत–बहुत तहे दिल से शुक्रिया होगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिस तरह से बिजली कंपनियाँ अब अनइलैक्ट्रिफाइड/इलैक्ट्रिफाइड कालोनी बना कर के जो जनता का शोषण कर रहा है और इससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। जब 2017 में एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसके साथ ये कहा गया था कि जो भी कालोनी अनइलैक्ट्रिफाइड है, उसका डेवलेपमेंट चार्ज देना पड़ेगा जो लगभग दस हजार के करीब है। लेकिन अब जितने भी इलैक्ट्रिफाइड कालोनी हैं, उन तमाम कालोनियों में भी जो अनइलैक्ट्रिफाइड का जो रेट था, उसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। ईवन हमारा जो गाँव का ईलाका है, जिसको लाल डोरा ईलाका कहते हैं, जो शुरू से ही उसको इस तरह का डेवलपमैंट चार्ज नहीं लिया जाता था। उन तमाम गाँवों में भी चार्ज लिया जाता है तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली सरकार का बिजली में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बिजली के रेट कम करके जनता को सहूलियत दिया था, मुझे लगता है, कहीं किसी तरह की साजिश तो नहीं है जो दिल्ली सरकार को बदनाम करने की... मुझे आपके जरिये यहाँ अधिकारी सब मौजूद हैं, हमारे माननीय मंत्री मौजूद हैं, मुझे उनसे निवेदन है कि इसको तुरंत संज्ञान में लें और ये जो एनडीपीएल और बाकी बिजली कंपनियाँ अनइलैक्ट्रिफाईड के नाम पर जो

लूट जारी रखा हुआ है, उसको संज्ञान में लेकर के और तुरंत कार्रवाई करके और इस तरह से लूट को रोकने का प्रयास करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद संजीव जी। मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमारः बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो मुझे आज अपनी विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण मुददा उठाने का आपने अवसर दिया। उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा कोंडली के पीडब्ल्युडी के नालों व सड़कों पर फैली हुई गंदगी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, विधानसभा की सड़कों पर जो हमारी पीडब्ल्युडी की सड़कें हैं, उन पर अतिक्रमण भी दिन दूनी, रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने पिछले महीने एसडीए में पीडब्ल्युडी के अधिकारियों को बुलवाया, समस्या से अवगत करवाया व समाधान के लिए बोला तो एसडीएम ने पीडब्ल्युडी के अधिकारियों से कहा, ''रोड आपकी, उसकी मरम्मत आपकी, तो अतिक्रमण होते समय तुरंत क्यों नहीं रोकते?'' आप लोग अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी करें और जो व्यक्ति इस तरह अतिक्रमण करता है, उस पर उचित कार्रवाई भी करें। पर अभी तक अध्यक्ष जी, पीडब्ल्युडी के अधिकारियों ने न तो आज तक अतिक्रमण को रोका, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है पीडब्ल्युडी के दफ्तर के बिल्कुल पास नयी–नयी ठेलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। इस तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कोई कठोर कार्रवाई की जाये ताकि ठीक से वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा के सभी नाले ओवर फ्लो होकर के सड़कों पर बह रहे हैं। इन बरसातों में डीडीए के फ्लैटों में व सोसाइटी के फ्लैटों में पानी भर गया था तब

मैंने खुद गंदे पानी में खड़ा होकर के पूरे दिन वो नाले की सफाई करवाई पर आज तक जो कूड़ा उस समय निकला था, वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। पूरा पहाड़ बन चुका है अध्यक्ष जी, केरला स्कूल वहाँ पर है, उसके बराबर में एमसीडी प्राईमरी स्कूल है, उसके साथ में हमारी विधानसभा की बहुत बड़ी चर्च है। उसके ठीक साथ में दो डीडीए के वैंक्वेट प्लॉट पड़े हुए हैं। उस रोड पर जब पीडब्ल्युडी ने आरसीसी के नाले बनाये तो वो आज इतना पानी रोड पर भर जाता है तो पीडब्ल्युडी वालों ने उस नाले को पंचर करके वो सारा पानी उस वैंक्वेट प्लॉट में भर दिया जो रोड से तकरीबन चार पांच फुट गहरा है और किसी ना किसी दिन कोई बड़ा हादसा वहाँ न हो जाये कि छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और दोनों तरफ वो पानी भरा हुआ है। अध्यक्ष जी, बार बार चीफ इंजीनियर से शिकायत की। मिश्रा जी से लगातार दो तीन महीनों से बातचीत होती है। कई बार मंत्री महोदय का भी ध्यान इस पर मैंने दिलवाया। उस समय कुछ काम हो जाता है परंतु कोई समाधान परमानेंट नहीं हो पा रहा। बरसात गये कई महीने बीत चुके पर पूरे के पूरे नाले रोड पर बह रहे हैं सीआरपी कैम्प जो दूसरे प्रदेशों से आकर के वहाँ पर हैं उनके बाहर इतनी गंदगी है कि आप देख भी नहीं सकते। कूड़े के पहाड़ दस दस फुट ऊंचे लगे हुए हैं रोड के ऊपर। अध्यक्ष जी, वसुंधरा एन्कलेव की सोसाइटी में अभी पाँच दिन पहले मैं खुद भी गया, चीफ इंजीनियर से बात करी। उन्होंने कहा, ''मैं एक्सईएन को भेजता हूँ।'' एक्सईएन अभी तक मुझसे नहीं मिला। सोसाइटी के अंदर पंप लगाकर के पानी निकाल के रोड पर फेंका जा रहा है। प्रतिदिन ये स्थिति पीडब्ल्युडी के नालों की हो रखी है। अध्यक्ष जी, जो सर्विस रोड

हुआ करती थी जिस पर कभी लोग साईकिल से या पैदल चलते थे, आज वो नाले की तरह बह रहे हैं पूरे के पूरे। अब पिछले एक साल से मैंने लगातार कई बार सदन में भी इस बात को रखी है कि पीडब्ल्युडी पूरे ठीक से काम नहीं कर पा रही, नाले तक साफ नहीं कर पा रही है। उन्होंने हम विधायकों को, सदस्य को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि दिन रात नाले देखते रहें बाकी समस्याओं को वे ध्यान ही न जाये। कहीं न कहीं मोनोपली मुझे इसमें पीडब्ल्युडी की नजर आती है।

अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप आदेश करके हमारी विधानसभा की समस्या का समाधान करायें। पीडब्ल्युडी के यहाँ जो एक फुटपाथ था वसुंधरा इंकलेव में बहुत सुंदर फुटपाथ, उसको एमसीडी ने तोड़ कर के पूरा खराब कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद जब कंपलेट करी तो उन्होंने मुझसे कहा एक्सईएन ने, ऐई ने कि हम एफआइआर करायेगें और उन्होंने कहीं न कहीं भाजपा के काउंसलर से मिलके वो बात रफा दफा कर दी। आज वो फुटपाथ हटाकर के वहाँ पर हमारे एरिया के सांसद की कुर्सियाँ लगा दी गई हैं पूरी रोड के ऊपर और वो पूरा फुटपाथ उठा के तहस नहस कर के फेंक दिया। ये जनता का पैसा है अध्यक्ष जी, जिसको कोई न कोई ऐजेंसी अगर मेन्टेन अगर कर रही है तो वो कैसे बिना किसी को बताये तोड़ सकती है? अब वो तोड़ के वहाँ पर जब लोग चला करते थे, मार्किट के बाद था, कोई अतिक्रमण नहीं था। उसके ऊपर वो पूरा एमसीडी ने तोड़ा, पीडब्ल्युडी ने संज्ञान लिया, देखा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वहाँ पूरी की पूरी बैंचे लगा दी। 15–20 बेंचे रोड पर लगा दी हैं हमारे यहाँ के सांसद जी की।

अध्यक्ष जी, पीडब्ल्युडी के ऐई, मिश्रा जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और पार्षद के कहने पर ये सब अनदेखी की गई और जो दल्लूपुरा के लिए एक नाला हमने बनवाया था, जिससे पानी बाईपास हो के जाता था। वो पानी वसुंधरा के ड्रेन में छोड़ दिया जिससे ज्यादा समस्या खड़ी हुई और सोसाइटियों में लगातार पानी भरता जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप संज्ञान लेते हुए इस पर कोई उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी करें। अब मेरे पास इन सब की फोटोग्राफस भी मेरे मोबाईल पर भी हैं। मैं आपको उनकी प्रतिलिपियाँ दूँ करंट की, अभी आते हुए कि क्या माहौल वहाँ पूरी रोडों पर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा सरिता सिंह जी भी मुझे एक बार मिली थी, बहुत गंभीर पीडब्ल्युडी के विषय में उनकी शिकायत थी। आज मनोज जी का भी... माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको एक बार संज्ञान में ले लें। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं रानी झांसी फलाई ओवर के शुरू होने के बाद से मेरे क्षेत्र में उत्पन्न हुई समस्याओं को आपके आगे रखना चाहता हूँ। सर्, रानी झांसी फलाई ओवर बहुत बड़े लंबे डिले के बाद शुरू हुआ और उससे वहाँ से आने–जाने वाले लोगों को बहुत सुविधा इस समय है। लेकिन मेरे क्षेत्र में उससे एक समस्या हो गई है। सर, इस फ्लाईओवर के बनने के बाद से उस रोड पर, जहाँ वो फ्लाईओवर खत्म होता है, उस रोड पर बहुत

ही तेज ट्रैफिक आता है ऊपर से और फ्लाईओवर शुरू होने के बाद से ही लगातार वहाँ पर हादसे हो रहे हैं। लोग सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने वहाँ पर सेंट्रल वर्ज पर ऊँचे–ऊँचे डिवाइडर बना दिए हैं, लोग उनको कूदकर सड़क पार करते हैं। एक तो लोगों को वहाँ जाने की जगह नहीं है। दूसरा, जब उसको लोग कूदकर पार करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हादसे हो जाते हैं। पिछले 15 दिन पहले वहाँ पर तीन महिलाओं को इकट्ठा एक गाड़ी ने हिट किया। उसमें से एक महिला की मौत भी हो गई तो समस्या सर, बहुत गंभीर है। पूरा रोड लगभग एक किलोमीटर का रोड फ्लाईओवर के बाद डिवाइडर से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को सड़क पार करने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पांच स्कूल हैं; वो भी प्राइमरी स्कूल हैं, दो बैंक हैं बच्चों को जाना होता है, महिलाओं को उनको छोड़ने जाना होता है, लेने जाना होता है। बुजुर्गों को वहाँ सड़क पार करनी होती है, बैंक जाना है, कुछ काम है। लोग बहुत परेशान हैं सर। मेरी ये प्रार्थना है कि वहाँ पर एक एफओबी फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि वहाँ जो लोग हैं जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। उनकी मुश्किल दूर हो। और जो ये हादसे हो रहे हैं खत्म हों। सर, मेरी ये प्रार्थना है अगर आप ठीक समझें कि ये मैटर पीडब्ल्यूडी, जो कमिटी देख रही है स्टैडिंग कमेटी, उनको रैफर कर दें और दो विषय जो अभी–अभी आए हैं पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, वो विषय भी मिलाकर उनको आप रैफर कर दें। ताकि वो वहाँ पर ये जल्द–से जल्द इसका निपटारा हो सके, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, अनुपस्थित। आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर बहुत जिस तरह से व्यापार की तरह धंधा चलाते थे, उस पर बहुत बड़े स्तर पर रोक लगाई। मैं ये बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कि मेरी विधानसभा द्वारका में भी इस तरह के कई प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और उन्हीं में से एक स्कूल जिंदल पब्लिक स्कूल के नाम से है। जिसके बारे में मैंने कई बार मंत्री जी से भी जिक्र किया। मंत्री जी ने आगे भी उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मगर अफसोस की बात ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन के अफसर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोई भी अभी तक एक्शन, कोई भी कार्रवाई इस तरह के स्कूल में नहीं हो सकी।

अध्यक्ष जी, स्कूल में लगभग दो हजार से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन के अफसर अगर आँख बंद करके भी वहाँ जाएँ तो कम से कम 10–15 नियमों का खुला उल्लंघन वहाँ पर नजर आएगा। वहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट का एक नाला है, उस नाले की जमीन के ऊपर अतिक्रमण करके उसके ऊपर प्ले स्कूल चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर वो अतिक्रमण से वो नाले के ऊपर जो कब्जा है, अगर वो गिर गया या ढह गया तो वो छोटे–छोटे बच्चों की जान का खतरा हो सकता है, नाले में गिर सकते हैं। स्कूल में डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन के गाइडलाइंस के बावजूद पशु पालन किया जा रहा है। वहाँ पर गेस्ट हाउस चल रहा है। वहाँ पर रेजिडेंशल एकोमोडेशन चल रही है

और इस तरह से कई कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और मेरे पास वहाँ से बहुत सारे अभिभावक, बच्चों के माता–पिता आए। मैंने उनको बोला कि लिखित में भी मुझे कंप्लेंट दीजिए। तो उन्होंने कुछ लोगों ने जरूर दी मगर डरकर दी क्योंकि उन्होंने ये बोला कि उस स्कूल की तानाशाही, गुंड़ागर्दी इतनी है कि अगर हमारा नाम कहीं आगे आ गया तो हमारे बच्चों के जिंदगी पर उनके स्कूल में समस्या हो सकती है और पूरी तरह से एक खुली गुंड़ागर्दी द्वारका विधान सभा में स्कूल के माध्यम से चल रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अफसर जल्द जाकर इंस्पैक्शन करके जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई स्कूल पर करें। क्योंकि 2000 बच्चों की जिंदगी का सवाल स्कूल के ऊपर है। बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः शुक्रिया, अध्यक्ष जी। मेरा विषय राजधानी दिल्ली में बद से बदत्तर होती जा रही कानूनी व्यवस्था के संबंध में है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में बढ़ रहे संघटित अपराध एवं अपराधियों की संख्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दिल्ली पुलिस की मिली–भगत एवं नाकामी की वजह से दिल्ली में अपराध एवं अपराधी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बेखौफ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। विशेषकर संघटित अपराध जैसे; शराब, जुआ, लूटपाट इत्यादि की घटनाओं में आए दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। मेरे राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र में बुधनगर एक रिसेटलमेंट कालोनी है। उसके साथ

इन्द्रपुरी भी लगी हुई है। इन दोनों कालोनियों में संघटित अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। कच्ची शराब, सट्टा, मटका, जुआ, झपटमारी, चोरी इत्यादि की घटनाएँ काफी बढ़ गई हैं जिसके कारण क्षेत्रवासी भय के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। आए दिन चेन स्नैचिंग एवं छेड़खानी आदि की खबरें एवं शिकायतें आती रहती हैं। इस संदर्भ में मैं अनेक बार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर चुका हूँ; कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सभी से मिल चुका हूँ। लेकिन ढ़ाक के वही तीन पात। घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है अध्यक्ष जी और कोई भी कार्रवाई इन अपराधों को रोकने के लिए नहीं की जा रही है। न तो पुलिस द्वारा कोई गश्त लगाई जाती है, न ही इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जाता है। दिल्ली पुलिस किस प्रकार की कार्यवाही करती है अध्यक्ष जी, आज हमने आज पूरे सदन ने ये देखा। एक प्रतिपक्ष के सदस्य को पूरा मौका दिया गया इस सदन की गरिमा को बिल्कुल चूर–चूर करने का और इतिहास में सदन के इतिहास में बड़ी शर्मनाक घटना को ये अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस किस प्रकार की कार्यवाही करती है, ये यहाँ पर आज इसका नमूना पेश हुआ। यदि पुलिस कोई कार्यवाही भी करती है तो केवल दिखावे के लिए करती है।

अतः अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सदन द्वारा समन करके सदन में तलब किया जाए और इन अपराधों को रोकने की दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए कहा जाए। धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने 280 में मुझे सवाल उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, अभी कुछ ही दिनों पहले वजीरपुर विधानसभा में कुछ इंडस्ट्रीज को सील करा गया, बंद करा गया। ये कहते हुए कि इसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। हम या हमारी सरकार पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि प्रदूषण न हो, दिल्ली को ताजी साफ हवा मिले। लेकिन उन इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से बंद करा गया और उसके बाद में जो वहाँ पर अफरा–तफरी मची है। क्योंकि जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। अब जो एक बहुत बड़ी वजह है जो इसमें प्रदूषण दिखाती है, वो ये है कि जो यंत्र लगे हुए हैं, उनको नापने के। क्योंकि मैंने खुद जाकर वहाँ चेक करा, डीपीसीसी वालों से बात करी। वो यंत्र ऐसी जगह पर लगे हुए हैं, जहाँ पर सामने ही एमसीडी के कूड़ाघर हैं और वो कूड़ेघर के अंदर आग लगाते हैं और वो सबसे पहले वो कूड़ा जो उसका जो धुंआ है, वो उस यंत्र के आसपास ही क्योंकि होता है। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिखाते हैं और आप सबने भी... आपने भी अध्यक्ष जी, जरूर टीवी पर देखा होगा तो वजीरपुर और अशोक विहार के क्षेत्र को दिल्ली के टॉप तीन जगहों पर प्रदूषण के लिए वो आता है। उसकी वजह ये नहीं हैं कि अशोक विहार में या वजीरपुर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। बल्कि अशोक विहार में शायद दिल्ली में ऐसी जगहों में से है, मेरी विधानसभा में, जहाँ सबसे ज्यादा पार्क हैं। लेकिन क्योंकि वो जितने भी कूड़ाघर हैं, वहाँ तो आग लगाते हैं रोज। तो उसी धुएँ को खींच लेता है और उसको दिखाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध

है कि डीपीसीसी के साथियों को क्योंकि हमारे मंत्री जी बैठे हैं इमरान भाई भी और उद्योग मंत्री जी भी बैठे हैं सत्येन्द्र जैन जी भी, एक ऐसी इंस्पैक्शन की टीम वहाँ पर भेजें। वहाँ पर एक टीम ऐसी भेजें जो इसको चेक करे कि जो वहाँ पर कूड़ाघर है, उसको वहाँ से हटाया जाए और वहाँ पर जो असली पॉल्यूशन है, उसे नाप पाएँ ताकि जो लोग वहाँ काम करते हैं और जो वहाँ पर औद्योगिक इकाई चलाते हैं, उनके साथ में अन्याय न हो।

अध्यक्ष जी, मैं एक और बात इसके साथ में उठाना चाहता हूँ। क्योंकि जो मेरे अलावा कई सारे विधायकों के साथ में जो एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, वो ये हो रही है कि दिल्ली सरकार ने हमारा जो फंड है, वो बढ़ा दिया है, आप सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले तीन महीने पहले भी मेरा जो विधायक फंड था, उसे उठाकर दूसरी एसी में डाल दिया गया। मेरी एसी–17 है वजीरपुर एसी–16 में डाल दिया। उस वक्त मैंने बात करी, माननीय मंत्री जी से बात करी, यूडी सैक्रेटरी साहब बैठे हैं। इन्होंने उस वक्त बात करी और मेरा करवा दिया।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये विषय राजेश जी, अलग से लिखकर दीजिए।

श्री राजेश गुप्ताः नहीं लेकिन सर इसमें लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ अब दोबारा डाल दिया है मेरा। अब दोबारा उठाकर डाल दिया। बहुत सारे विधायकों के साथ है।

माननीय अध्यक्षः भई देखिए इस 280 में जो आया है, वो पूरा हो गया। अब दूसरा विषय एक बार लिखकर दे दें मैं कमिटी को भेज दूँगा। जो भी कुछ करना है, उसको देखते हैं लिखकर दे दीजिए।

श्री राजेश गुप्ताः ठीक है, सर। एमसीडी की बदमाशी से होता है सर। बार–बार दूसरा नंबर देते हैं हमारे को परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब इसमें और विधायकों का भी नंबर आ जाए। श्री बग्गा जी। बग्गा जी उपस्थित हैं। मैं साढ़े तीन बजे तक... और विधायकों के दो–तीन के आ जाएँ तो अच्छा है।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पीडब्ल्यूडी का तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैंने दिनांक 20/10/2017 को सात लैटर, सात पत्र लिखे हैं पीडब्ल्यूडी को जिसमें किशनगंज विधान सभा के निम्नलिखित कार्य होने थे जो निम्न प्रकार हैं: फ्लाइओवर के नीचे ब्यूटिफिकेशन करने हेतु, पड़पड़गंज रोड पर बिजली के खम्भे और बिजली के ट्रांसफार्मर सड़क से पीछे करना, पॉलिक्लिनिक व स्टेट पार्किंग, गीता कालोनी पुश्ते पर ओवर ब्रिज नियर ताज एन्कलेव रानी गार्डन पर बनाने हेतु, पड़पड़गंज रोड पर दोनों तरफ फुटपाथ बनाने हेतु, कृष्णा नगर विधान सभा के मुख्य द्वारों पर साइनबोर्ड लगाने हेतु, पड़पड़गंज रोड पर डिवाइडर लगाने हेतु।

अध्यक्ष महोदय पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के यहाँ चक्कर काटने के बाद भी कार्य नहीं हुए। तंग आकर एक मीटिंग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के यहाँ पर 29/08/2018 को की गई 2.00 बजे। पीडब्ल्यूडी के सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ की गई मीटिंग में समय सीमा तय की गई जिसकी मेरे पास कॉपी है 30/09/2018, 31/10/2018 परन्तु आज जनवरी, 2019

आ गया है लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में डीएम ऑफिस के सामने शास्त्री नगर की एक पूर्व निगम पार्षद हैं। सड़क की वो सरकारी जगह घेर कर लोगों को किराए पर दे रखी है। दो लाख रुपये से ज्यादा वो महीना का किराया खा रहा है वहाँ पर। उससे पूर्व निगम पार्षद ने डीडीए के भी कई प्लॉट घेर रखे हैं। फैक्टिरियाँ बना रखी हैं। जब जगह घेर रखी हैं। पिछले महीने पीडब्ल्यूडी एण्ड ईडीएमसी ने मिलकर वहाँ डेमोलिशन भी की लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अपना कब्जा वापस नहीं लिया। पूर्व निगम पार्षद दोबारा बना वहाँ पर दोबारा कब्जा कर सकता है, करने को तैयार है। इसका काम ये ही है कि खाली प्लाटों पर कब्जा करना, उनको बेचना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के कार्य करवाएँ तथा पीडब्ल्यूडी अपनी जगह पर कब्जा ले। वहाँ पर पॉलिक्लिनिक बनाए बनाने की जरूरत है, उसे बनवाएँ और पूर्व निगम पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, धन्यवाद। सर, लैटर मेरे पास हैं सारे।

माननीय अध्यक्षः श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी कि आपने 280 के तहत हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में महेन्द्रू एन्कलेव एक कालोनी है जो तकरीबन आज से 40 साल पहले बसा। 40 साल से आज तक वहाँ के लोग विकास की राह जोह रहे हैं। लगातार जब चुनाव आता है तो वोट

देते हैं; कभी एमपी बनाते हैं, कभी एमएलए बनाते हैं, कभी काउंसिलर बनाते हैं लोगों को। लेकिन हालत उस कालोनी की ये है कि आज तक वहाँ पर सरकारी फंड कुछ नहीं लग पाता। मैं धन्यवाद करता चाहता हूँ दिल्ली की सरकार का, जहाँ एक तरफ पूरी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में काम कर ही है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम शहरी विकास मंत्री और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे इस महेन्द्रू एन्कलेव पर भी ध्यान आकर्षित करें क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी कालोनी है जहाँ पर हाउस टैक्स लिया जाता है। जहाँ पर सीवरेज चार्जेज लिए जाते हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल लिए जाते हैं। लेकिन हालत ये है आज तक एक रुपया भी, इतने चार्जेज देने के बाद, टैक्स देने के बाद... इनकम टैक्स देते हैं। बहुत बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे। उसके बावजूद आज तक एक रुपया सरकारी फंड नहीं लगता। हमारी मीटिंग होती हैं। हम जाते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ सीवर नहीं है, कुछ करो जी। हम बहुत बेहाल हैं। उनकी पीड़ा देखते हुए ये लगता है... वो बार बार पूछते हैं हमसे कि बताइए कि टैक्स देने के बाद हमें लगता है कि हम किस देश के निवासी हैं? हम भारत देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं या हम दिल्ली में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमने कई बार अधिकारियों को भी लिखके दिया शहरी विकास मंत्रालय में भी लिखकर दिया कि मेरी एमएलए फंड को वहाँ पर विकास निधि के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी जाए ताकि वो जो उनका जो मत मूल्य है, उन्होंने जो मताधिकार दिया है, हम लोगों को चुनकर के भेजा है, उनके लिए कुछ काम कर पाएँ। आज न वहाँ सड़कें हैं, न वहाँ नालियाँ है, न वहाँ पे सीवर

हैं, न वहाँ कोई पार्क ही डेवलप हो पाया। इतने बड़े बड़े घर हैं कि आज ये मेरा सदन से निवेदन है कि अगर सरकार वहाँ कुछ काम नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर टैक्स लेना भी बंद होना चाहिए ताकि वहाँ के टैक्स के पैसे से वहाँ के लोग अपना सड़क बना पाएँ। सीवरेज चार्जिज लिया जाता है वहाँ पर। वहाँ पर हाउस टैक्स ले रहे हैं। बड़े बड़े 500 से 1000 गज के घर हैं। 40 साल से बसे हुए हैं आज तक विकास की राह जोह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरीके से आप देख रहे हैं वहाँ पर पहले भी आज के 10 साल पहले शायद एल.जी. से कोई नोटिफिकेशन हुआ था। लेकिन तब से लेकर के आज तक उस कालोनी को, उस नोटिफिकेशन को अभी तक गजट नहीं किया जा सका। अगर वो गजट हो जाए तो वहाँ के लोगों को विकास का रास्ता खुल जाएगा और साथ–साथ वहाँ के लोगों को सीवर, सड़क, सब कुछ मिल पाएगा और हम लोग ये कह पाएँगे कि हम लोग चुने गए वहाँ से और उनके लिए काम कर पाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, उम्मीद करते हैं कि सदन के संज्ञान करने के बाद हमारा एमएलए फंड वहाँ के विकास के लिए लग पाएगा और हम उसके लिए वहाँ पर काम कर पाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अंतिम भावना गौड़ जी। अब नहीं, अब नहीं प्लीज प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः शुक्रिया, माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो विषय आपके बीच में उठा रही हूँ, ये विषय केवल पालम विधान

सभा के लिए नहीं है अपितु पूरी दिल्ली के अन्दर जो व्यवस्था चल रही है, वो कुछ इसी तरीके की है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में बिल्डर माफिया द्वारा भवन उपनियमों का खुलेआम उल्लंघन करके बड़ी संख्या में बनाये जा रहे बहुमंजिला भवन अवैध निर्माण की ओर दिलाना चाहती हूँ। जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ जैसे पेय जल, सीवर, बिजली, पार्किंग, सड़क आदि से संबंधित सड़कों से जूझना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये बिल्डर्स कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके विभिन्न रिहाइशी क्षेत्रों में प्लाट खरीद करके वहाँ बहुमंजिला भवनों अर्थात् कमर्शियल; कॉम्पलेक्स मॉल आदि का निर्माण कर लेते हैं जिसमें भवन निर्माण के नियमों का किसी तरह से कोई पालन नहीं होता। हमारी सरकार दिल्ली वासियों को पर्याप्त मात्रा में पेय जल आपूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। परन्तु ये बिल्डर्स गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे अपने भवनों में बड़े—बड़े भूमिगत वाटर टेंक बनाकर उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और भवन निर्माण तक उस पेय जल का प्रयोग करते हैं। जिसके कारण क्षेत्र वासी जल संकट से ग्रस्त रहते हैं। ये बिल्डर्स अपने भवनों में सीवर निकासी के लिए सरकारी सीवर लाइनों में अवैध रूप से अपनी लाइनों को जोड़ रहे हैं जिससे सीवर जाम की समस्या पैदा हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ये बिजली कनेक्शन जोड़कर बिजली संकट भी पैदा कर रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र वासियों को बिजली आपूर्ति में अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है और ये बिल्डर्स अपने भवन निर्माण के दौरान ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा भी बीएसइएस को देने के

लिए तैयार नहीं हैं। ये बिल्डर्स अपने भवनों, कमर्शियल कॉम्पलेक्स आदि में पार्किंग हेतु बेसमेंट अर्थात् ग्राउंड फ्लोर में जो जगह छोड़ते हैं, उस जगह के अन्दर भी इन्होंने वन रूम सेट बनाकर के बेच दिया है जिसके कारण पार्किंग की पर्याप्त जगह वहाँ न होने के कारण वो गाड़ियाँ जो बेसमेंट में लगनी चाहिए, वो सड़कों के ऊपर बाहर लगती हैं। यातायात जाम की समस्या भी पैदा हो गई है। मूलभूत सुविधाएँ कालोनी वासियों को सीमित मात्रा में होती है। परन्तु ये बिल्डर्स उन सुविधाओं को अवैध तरीके से दौहन कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे तो लगता है कि पूरी दिल्ली के अन्दर ये बिल्डर फ्लैटस जो भवन के भवन निर्माण के जो उपनियम बनाए गए हैं, जिसके अन्तर्गत 15 मीटर की बिल्डिंग बननी चाहिए पूरी दिल्ली में मुझे लगता है कि लगभग 7–7 मंजिला बिल्डिंगें बनकर के तैयार हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्डर्स 15 मीटर से भी ऊँचे उपभवनों का निर्माण कर रहे हैं जो कि सरासर गैर कानूनी है। इसलिए बिल्डर्स के इन गैर कानूनी अवैध कार्यों को जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाना चाहिए।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बिल्डर्स के इस गैर कानूनी धंधे को जनहित में तुरंत रुकवाने का कार्य अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना और है आपसे। ये विषय जो मैंने आपके समक्ष रखा है 280 में ये पूरी दिल्ली का विषय है सर।

माननीय अध्यक्षः मैं, जिनका लॉटरी में नम्बर आया हैं उन...

सुश्री भावना गौड़ः इसको लेकर के एक आवश्यक...

माननीय अध्यक्षः भावना जी। चलिए कम्प्लीट कीजिए।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ। ये विषय केवल पालम विधान सभा का नहीं है। मेरे साथी जितने भी बैठे हैं सभी हाथ उठाकरके समर्थन दो कि आपके एरिये में भी यही सबके यहाँ प्राब्लम है। दिल्ली नगर निगम का एक भी अधिकारी बिल्डिंग बनाने के जो नियम–कानून–कायदे हैं उसके अन्तर्गत पूरी दिल्ली में एक भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है और उस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है इस विषय को लेकर के आपको एक स्पेशल हाउस बुलाना चाहिए जिसमें नगर निगम के कमिश्नर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हों, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

सदन पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज

माननीय अध्यक्षः कमान्डो जी, नम्बर में नहीं आया है प्लीज। मैं, वाजपेयी जी भी आप भी। मुझे प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज। प्लीज।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी अपने विभाग से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियाँ। श्री कैलाश गहलौत जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः सूचना मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य–सूची के बिन्दु क्रमांक संख्या–2 के उपबिन्दू–1 में दर्शाएँ गए निम्नलिखित–दस्तावेजों की अंग्रेजी और हिन्दी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

1. इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वित्त वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक लेखों पर सी.ए.जी. के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित कार्यवाही रिपोर्ट की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ।[2]

माननीय अध्यक्षः हाँ, कैलाश जी बताइए।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर, विद योर परमीशन मैं एक चीज सदन के सामने रखना चाहूँगा।

पूरे सदन को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मेट्रो फेज–4 के जितने भी छः कोरिडोर हैं, उनको परमीशन दिया, अप्रूव किया और पूरी दिल्ली में जिनते भी सभी विधायकों की...

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी, मेट्रो पर चर्चा होगी। अभी मेट्रो का आया हुआ है। उस चर्चा के उत्तर में आप दीजिएगा सारी बात। चर्चा का उत्तर आपसे दिलवाएँगे।

माननीय परिवहन मंत्रीः वो इसके बाद होगा, सर?

माननीय अध्यक्षः चर्चा के बाद। टी–ब्रेक के बाद आएगा। अगर आपको जाना है तो अभी रख लीजिए। चर्चा में आएगा, उस वक्त औचित्य रहेगा। चर्चा का उत्तर आपको देना है। ठीक है।

---

2. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20435 पर उपलब्ध।

माननीय परिवहन मंत्रीः ठीक है। थैंक यू सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई बाजपेयी जी, नहीं भाई देखिए, वो भी बैठे हैं। मैंने उनको रोका है बाजपेयी जी। ये उचित नहीं। प्लीज ये सारी कार्रवाई। जितने विषय आज हैं, वो रह जाएँगे। ये महत्वूपर्ण विषय जिन पर चर्चा होनी है; सीलिंग पर चर्चा होनी है, मेट्रो पर चर्चा होनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो बोलिए, कमान्डो जी भी बोलेंगे फिर। बोलिए, फिर वो भी बोलेंगे। श्री अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः पांच विधान सभा का एक महत्वपूर्ण सर, प्रश्न है ये। मैं दिल्ली सरकार को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कैलाश गहलौत जी को बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेट्रो के चरण का विस्तार किया। बधाई के पात्र हैं लेकिन सर, शास्त्री पार्क का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हम ये चाहते हैं कि अक्षरधाम...

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी मेट्रो की आज चर्चा रखी है। उस पर रखिए ना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेट्रो की चर्चा में आप रखिए।

भाई नितिन जी, आप डिसाइडेड नहीं हैं। कौन से हैं? क्या हैं? वो मेट्रो पर बोल रहे है। मेट्रो पर आज चर्चा है, उसमें रखिए, प्लीज। हाँ, तो उसमें रखिए ना। उसमें मैं समय दूँगा। प्लीज। अब माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी चौथे वित्त आयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव। माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र

जैन जी अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु कमांक–2 के उप बिन्दु–2 में दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की अंग्रेजी व हिन्दी प्रतियां[3] सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

1. दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन नियमन, 2018 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. 16(712)/श0वि0/जल/2018/1592 दिनांक 12 नवम्बर, 2018 की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ;
2. मंत्रीमण्डल निर्णय संख्या 2669 दिनांक 01.01.2019 के अनुसार चतुर्थ दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ;
3. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा–107 ए (4) के संदर्भ में पांचवें दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन की अंग्रेजी प्रति सहित पाँचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ।

संकल्प

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी। पहले वक्तव्य देना चाहेगें? वक्तव्य देना चाहते हैं पहले?

---

3. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20434–36.पर उपलब्ध।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः ये अलग से बोल दें। मैं सत्येन्द्र जैन अध्यक्ष महोदय से चौथे वित्त आयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा माननीय मंत्री महोदय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट, 2015 में एक्सेप्ट की थी और चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट आयी थी उसके अन्दर काफी सारे रिकमन्डेशन थी। उसमें कुछ मैं पढ़ देता हूँ। उसमें मेनली कहा गया था कि केन्द्र सरकार को कुछ चीजें करनीं थीं, कुछ दिल्ली सरकार को करनी थीं और कुछ एमसीडी को करनी थी। दिल्ली सरकार ने जो रिकमन्डेशन मानी थीं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कैसे माना थाः

'The Government of N.C.T. of Delhi has decided to accept the recommendations of the 4th Delhi Finance Commission in totality in the following sequence.'

मतलब सिक्वेन्स से मानी गयी थी। नम्बर एक। सिक्वेन्स का नम्बर एक थाः

'The Government of India to accept, implement the recommendations of the 4th Delhi Finance Commission mentioned in para B1 of the 12 of this summarized note and as recommended by the report for Delhi Finance Commission.'

मतलब ये था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को जो–जो रिकमन्डेशन, रिकमन्ड की गयी थी, वो रिकमन्डेशन्स केन्द्र सरकार मान लेगी सबसे पहले। उसमें कुछ कन्डीशन्स को पढ़ के मैं बता रहा हूँ। काफी सारी थीं, उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपकोः

1. Ensure that the Ministry of Urban Development, Govt. of India does not deal with the matters relating to constitution and powers of the municipalities and other local authority of the Union Territory of Delhi.

मतलब इसमें ये था साफ–साफ कि एमसीडी के बारे में सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। उसके अन्दर कोई भी इण्टरफेयरेन्स केन्द्र सरकार न करे। एक्जाम्पल के लिए जैसे कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति है, वो नियुक्ति केन्द्र सरकार डाइरेक्टली करती है। उस तरह के सारे प्रोविजन को चेन्ज किया जाए और दिल्ली सरकार करेगी। ये रिकमन्डेशन थीं।

एक रिकमन्डेशन थीं:

'Displays its commitment to the 73 & 74 amendment of the constitution by stating the process of enforcing them in letter in spirit beginning with the transfer of control over the local board authorities such as the Delhi Development Authority.'

कि 73वां अमेन्डेमेन्ट और 74वां अमेन्डमेन्ट जो किये गये थे संविधान के अन्दर, उनके अनुसार जितनी भी लोकल बाडीज हैं उनका कन्ट्रोल दिल्ली सरकार को दिया जाए जिसमें डीडीए भी शामिल हैं।

'And the competent authority appointed under the slum areas improvement and clearance at 1956 or limiting that authority of the municipalities on matters relating to regulation of building by activities etc.'

मतलब कि जितनी भी लोकल अथार्टीज की पावर्स हैं, उन सबको दिल्ली सरकार के पास ट्रांसफर किया जाये, दिल्ली सरकार के अधीन किया जाये। इसी तरह से एक रिकमन्डेशन थी:

'Should hold the Delhi Development Authority responsible for infrastructure deficit in terms of requirement of municipal services befitting the national capital despite its paying the deficiency charges to other local authorities and should compensate the admissibilities of their of being forced to bear the burden for providing infrastructure deficit out of their resources.' कि जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमियाँ हैं, उस सारे पैसे का खर्चा डीडीए वहन

करे। क्यों सारा खर्चा डीडीए दे क्योंकि डीडीए के पास तो 25 हजार करोड़ रुपये की तो एफडी है और कई लाख करोड़ रुपये का उनके पास लैण्ड बैंक है। तो उन्होंने कहा, ''भाई, ये सारा पैसा जो कि डफिसिट में हैं जितने भी खर्चे हैं, वो सारे के सारे डीडीए वहन करे और अल्टीमेटली डीडीए को दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया जाए।

'Consider realising the share of NCT of Delhi in the taxes and duties in the union List as at par with other states of union of India.'

जो सेन्ट्रल टैक्सेज हैं जिसमें खासतौर से इनकम टैक्स है, उसके अन्दर जैसे बाकी राज्यों को टैक्स के अन्दर हिस्सा दिया जाता है, दिल्ली सरकार को भी टैक्स में हिस्सा दिया जाए। दिल्ली की जनता लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया इनकम टैक्स में जमा कराती है और बदले में दिल्ली की जनता को 325 करोड़ रुपये मिलते हैं पिछले 16 साल से। तो फाइनेन्स कमीशन ने कहा था कि जैसे बाकी राज्यों को शेयर दिया जाता है; किसी को 20 परसेंट किसी को 40 परसेंट किसी को 100 परसेंट दिया जाता है। तो दिल्ली की जनता को भी शेयर दिया जाए। अगर हम कम से कम भी मानें, अगर 20 परसेंट भी केन्द्र सरकार देती है तो 20–25–26 हजार करोड़ रुपया बनता। तो उनकी रिकमंडेशन थी कि उसमें से बाकी राज्यों को जैसे शेयर दिया जाता है इनको भी दिया जाए।

'Govt. to include the net proceeds of tax collected by the Govt. of India in respect of matters for which the Legislative Assembly of NCT of Delhi has power to enact laws and also share the union territory of NCT of Delhi in the net proceeds of the taxes and duties of union list.'

जितना भी यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल टैक्स कलेक्शन आता है तो उसमे से दिल्ली को भी शेयर दें जो कि शेयर देने से वो मना करते हैं तो इस कंडीशन के ऊपर दिल्ली सरकार ने कहा था कि भई पहले केन्द्र सरकार इसको मान ले क्योंकि दिल्ली सरकार को केन्द्र सरकार से बहुत सारा पैसा वहाँ से मिलना था। तो हमने कहा कि फोर्थ कमीशन ने जो भी रिकमंडेशन दी है, हम उस सबको मान लेंगे प्रोवाइडेड कि पहले फर्स्ट कंडीशन ये हो कि केन्द्र सरकार इस कंडीशन को मान ले।

सेकण्ड था; ओनली ऑफ्टर मानने के बाद जो फर्स्ट मैंने बताई हैः

'Only after the Govt. of India implement the aforesaid recommendations. *Jo uper batai gai conditions ko maan leti hai,* Govt. of NCT of Delhi will then implement the recommendations of the 4th Delhi Finance Commission.'

तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब केन्द्र सरकार इन सारी रिकमंडेशन्स को मान लेगी जिसके अंदर बहुत बड़े स्केल के अंदर रिफार्म्स भी थे, साथ–साथ में पैसा भी मिलना था, तभी हम उस पैसे को दे पाएँगे। दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र भेजा और केन्द्र सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने से, मानने से मना कर दिया। कहते हैं, ''जी, इसको हम कुछ भी नहीं मानेंगे।'' किसी भी रिकमंडेशन को उन्होंने मानने से मना कर दिया तो दिल्ली सरकार ने इस संदर्भ में क्योंकि केन्द्र सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। डीडीए को ट्रांसफर करने से मना कर दिया तो जब पैसा वहाँ से आएगा नहीं, फोर्थ फाइनेन्स कमीशन ने सोचा था कि भई, दिल्ली सरकार इतना सारा पैसा मिलेगा तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा

कि उस पैसे में से आप आगे इनको पैसा दे दीजिएगा तो दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और इसको दोबारा से कंसीडर किया गया। वो मैं पढ़ देता हूँ जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हैः

'After the rejection of the 4th Delhi Finance Commission report by the Govt. of India, the Govt. of NCT of Delhi is unable to recommend the implementation of 4th Delhi Finance Commission and hence continued the scheme of devolution as per the 3rd Delhi Finance Commission. It is also pertinent to mention that the time of period of 4th Delhi Finance Commission already lapsed on 31st March, 2016.'

हमने कहा कि 2016 के अंदर इसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है पर उसको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। इन ऐनी केस द दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिलीज्ड मोर फण्डस थर्ड के हिसाब से हमने रेजल्यूशन को पास किया है जो कि 10.5 परसेंट था परन्तु दिल्ली ने पहले ही जो डेवल्यूशन फण्डस है, वो 14 परसेंट से लेकर 17 परसेंट तक दिया हुआ है और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया कि जो पैसा ज्यादा दे दिया था, उसको फाइनल मान लिया जाएगा और उसकी कोई एमसीडी से रिकवरी नहीं की जाएगी। ये फोर्थ फाइनेन्स कमीशन के अंदर दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है और जिसकी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मैं सदन के सामने रखता हूँ।

आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले 2012–13 के अंदर दिल्ली सरकार ने 17.65 परसेंट राशि दी है टोटल बजट की। 1913–14 के अंदर 16. 11 परसेंट। 1914–15 के अंदर 15.34 परसेंट और 1915–16 के अंदर 14.

40 परसेंट जो है पैसा दिल्ली सरकार ने रिलीज किया जिसको कि हम रिकवरी नहीं कर रहे हैं। और ये प्रपोजल मैं सदन के सामने रखता हूँ।

माननीय अध्यक्षः जैन साहब, इस फाइनेन्स कमीशन की ये रिपोर्ट के संबंध मे प्रस्ताव तो रखिये ना।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रखता हूँः

'This House consideres and adopts the action taken report of the Govt. of NCT of Delhi on 4th Finance Commission report of the Govt. tabled in the House today the 3rd Jan., 2019.'

माननीय अध्यक्षः अब श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह सदन के सामने रखा हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री पांचवे वित्त आयोग से संबंधित प्रस्ताव सदन के सामने रखने की अनुमति माँगेंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांचवे वित्त आयोग से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री महोदय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पांचवे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के समक्ष रखी। इसको दिल्ली सरकार ने कंसीडर किया और उसको जो भी हमने कंसीडर करने के बाद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम सदन के सामने रखा गया है, उसका ब्रीफ मैं बता देता हूँ आपको। उनकी 171 रिकमंडेशन्स थीं जिसमे से 88 रिकमंडेशन्स को ऐज इट इज मान लिया गया। 22 रिकमंडेशन्स जो हैं, वो डेवोल्यूशन से संबंधित थी जिसमें कि कितना टैक्स देना है, कितना शेयर देना है, उसको विद अमेन्डमैंटस मान लिया गया है। तीन रिकमंडेशन्स ऐसी हैं जो कि पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं; जैसे कि बॉयलॉज वगैरह इम्प्लीमेंट करने थे। 13 रिकमंडेशन्स को लोकल बॉडीज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो

अपने आप फैसला कर लें कि वो जो भी करेंगे, हमे स्वीकार है। उसके लिए आपको सहमति दे दी है। 17 रिकमंडेशन्स ऐसी हैं जिनको हम एक कमिटी बनाकर कमिटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, उसको फर्दर सरकार कंसीडर करेगी और 29 रिकमंडेशन्स को दिल्ली सरकार ने मानने से मना किया है। ब्रीफली जो डेवोल्यूशन का फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ:

दिल्ली सरकार ने इससे पहले 10.5 परसेंट तीसरे वित्त आयोग के अंदर 10.5 परसेंट माना था और जिसको फोर्थ मे भी 10.5 माना गया था इस बार इसको 12.5 परसेंट कर दिया गया है साढ़े बारह परसेंट। इस साढ़े बारह परसेंट के दो हिस्से होंगे। 6 परसेंट होंगे; *बेसिक टैक्स एसाइन्मैंट दैट इज जनरल ग्राण्ट,* 6 परसेंट के अंदर उसको दो पार्ट किये गये हैं पार्ट–ए और पार्ट–बी। पार्ट–ए के अंदर तीन परसेंट हुआ और पार्ट–बी मे तीन परसेंट हुआ। पार्ट–ए का जो तीन परसेंट है, उसको ईस्ट एमसीडी के अंदर 65 परसेंट और नॉर्थ एमसीडी को 35 परसेंट दिया जाएगा। ये रिकमंडेशन को मान लिया गया है। ये वित्त आयोग ने ही रिकमंड किया था। बाकी तीन परसेंट को सभी म्युनिसिपैलिटीज में, इन्क्लूडिंग एनडीएमसी और कन्टून्मैंट बोर्ड को जो फार्मूला पहले था, उस फार्मूले के हिसाब से ही दिया जाएगा। बाकी साढ़े छः परसेंट जो है उसको बजट के अंदर हर साल के बजट के अंदर सरकार अपनी ओर से जो अनुदान देती है अलग अलग डिपार्टमेंट मे हेल्थ के अंदर, यूडी डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो हर साल के हिसाब से सरकार अपने बजट के अंदर उसका प्रोवीजन करेगी और कुल मिलाकर साढ़े बारह परसेंट सरकार अपने टैक्स कलेक्शन का पैसा एमसीडीज को देगी और इसकी डेट ऑफ इम्पलीमैन्टेशन

होगी 01/04/2016, जिस दिन से इसको लागू होना था। 01/04/2016 से ये लागू होगा और इसके लिए जो भी मतलब 31 मार्च, 2016 तक चौथा लागू था, उसके अगले दिन से इसको लागू किया। तीसरे के हिसाब से पैसा दिया गया है और इसको 01/04/2016 से पाँचवा वित्त आयोग लागू हो गया है।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय सत्येन्द्र जैन जी शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव हैः

'This House consideres and adopts the action taken report of the Govt. of NCT of Delhi on the 5th Finance Commission report of the Govt. tabled in the House today, that is 3rd January, 2019.'

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अल्पकालिक चर्चा नियम—55

सीलिंग पर अल्पकालिक चर्चा नियम—55 के अंतर्गत श्री ऋतुराज।

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत—बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, सीलिंग की वजह से पूरी दिल्ली मे हाहाकार मचा हुआ है। हम सब लोग एक ऐसे देश मे रहते हैं जहाँ जनतंत्र है और जहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जरूरत को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम पॉलिसी के अंदर में चेंजेज करें कानून बनाएँ और लोगों की भावना और उनके लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर देखा गया है अध्यक्ष महोदय, कि एक सरकार जो केन्द्र में आती है, 2014 में, कहते हैं कि हम पन्द्रह—पन्द्रह लाख रुपया देंगे गरीबों को। दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगें। आपने दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था और आज हजारों लाखों लोगों का रोजगार सीलिंग के माध्यम से जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करता हूँ जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। 53 प्रतिशत लिटरेसी रेट है और लगभग 75 प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं। छोटी—छोटी फैक्ट्रीज हैं। छोटे—छोटे से क्या बोलते हैं दो—दो मशीन, तीन—तीन मशीन करके जो है, उन्होंने लघु उद्योग लगा रखा है। जहाँ पर उनका खुद का परिवार भी चलता है और साथ में दस परिवार को और चलाते हैं। कोई पेंट सिलता है कोई शर्ट सिलता है, कोई जींस सिलता है। छोटे—छोटे काम हैं जिसके अंदर में कोई पॉल्यूशन नहीं है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सीलिंग की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की आड़ में पूरी एमसीडी एक

डीलिंग करने का प्रयास कर रही है हमारे क्षेत्र के अदंर में। एक टैम्पू घुमाते हैं, बोलते हैं कि 24 घंटा के अंदर में सारी की सारी फैक्टरीज को बंद कर लो नही तो सील कर देंगे। आज ऐसी अव्यवस्था हो रखी है अध्यक्ष महोदय, कि एक–एक छोटे से छोटा व्यापारी इतना परेशान है, सबसे ज्यादा शोषण किसी का हो रहा है तो ये छोटे–छोटे व्यापारियों का हो रहा है अध्यक्ष महोदय। किसी के यहाँ पर दो मशीनें हैं, किसी के यहाँ पर तीन मशीनें हैं, किसी के यहाँ पर चार मशीने हैं। नॉन पॉल्यूटिंग युनिट्स हैं। लेकिन इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जो पैसा दे दे, वो लीगल है और जो पैसा नहीं दे, वो इल्लिगल है। इस तरीके से अव्यवस्था करने का काम किया है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले प्रदर्शन किया था। आप यकीन नहीं करेंगे पाँच हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए, पाँच हजार से ज्यादा लोग। आप इसी से संख्या लगा सकते हैं कि एक छोटे से विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूँ वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी सड़क पर उतर गए तो पूरी दिल्ली की क्या स्थिति होगी अध्यक्ष महोदय। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ी चीज है कि केन्द्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जिसने वादा किया था कि दो करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और आप रोजगार तो एक फुटा नहीं दे पाए लेकिन जो छोटे–छोटे काम आज करते हैं, जो अपना परिवार चलाते हैं साथ में दस परिवार को और चलाते हैं, उनका रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर आज तक किसान आत्म हत्या करते थे। किसानों की समस्या तो अब सॉल्व नहीं कर पाए, उनकी आत्म हत्या को आप रोक नहीं पाए लेकिन जो छोटे–छोटे मेहनत मजदूरी

से कमाए हुए पैसों से जो छोटे–छोटे मशीन लगाकर के अपने परिवार चलाते हैं, साथ में दस परिवारों को और चलाते हैं, उनको भी आप आत्म हत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, इस तरह की अव्यवस्था करके।

मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कि अगर जलि कट्टू पर, प्रिसिंपल सैक्रेटरी को लाने पर अगर अम्बानी अडानी को जमीन देने पर अगर ये सभी चीजों पर प्रस्ताव आ सकता है तो दिल्ली के छोटे बड़े व्यापारियों को एक अध्यादेश लाकर के आप क्यों नहीं राहत दे सकते? क्यों नहीं राहत दे सकते? अगर मोदी का प्रिंसिपल सैक्रेटरी लाने के लिए अध्यादेश आ सकता है, जलि कट्टू के लिए अध्यादेश आ सकता है। एससीएसटी एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश आ सकता है और अगर अम्बानी अडानी को जमीन देने के लिए अगर अध्यादेश आ सकता है तो दिल्ली के अंदर में व्यापारियों को अध्यादेश ला करके राहत क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? आज गरीब लोग परेशान हैं। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। जो लोग खुद रोजगार उत्पन्न कर रहे है उनको आप परेशान कर रहे हो। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके पास में पैसे नहीं है कि वो इण्डस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं और इण्डस्ट्रियल एरिया में क्यों जाएंगे। कोई पॉल्यूशन नहीं करते वो लोग। आप मुझे बताइए कि पेंट को सिलने में कौन सा पॉल्यूशन होता है। शर्ट को सीलने में कौन सा पॉल्यूशन होता है। जींस को सीलने में कौन सा पॉल्यूशन होता है। अगर जींस को सिलने में भी पॉल्यूशन होता है। उससे भी आपको समस्या है तो ये सरकार गरीब विरोधी है अध्यक्ष महोदय। इनको किसी भी तरीके से गरीबों को कुचलना है। किसानों का आत्महत्या रुक

नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आज ऐसी हालत हो गई है कि सीलिंग पर अगर रोक नहीं लगी। अगर राहत नहीं मिली तो ये छोटे—छोटे व्यापारी आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इनका पेट कौन पालेगा? कौन सी सरकारी की हुकुमत है जो कि इनके गरीबों का पेट को पाल सकता है जो बेरोजगार हो गए सीलिंग के बाद से और जो हो रहे हैं। एमसीडी वाले जो पैसा दे देता है, वो लीगल है। जो नहीं देता, वो इल्लीगल है। इस तरह की अव्यवस्था हो रही है अध्यक्ष महोदय! ये बहुत सीरियस विषय है। इस पर हमें संज्ञान लेने की जरूरत है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में अध्यादेश ला करके तुरन्त इसके ऊपर में राहत देने की जरूरत है। आने वाले समय में जब सरकार इस स्थिति में होगी कि सभी व्यापारियों को इण्डस्ट्रियल एरिया में जगह दे सकती है। और सबसे पहले तो ये आईडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपको पॉल्यूटिंग यूनिट हटाना है कि आपको नॉन पॉल्यूटिंग युनिट हटाना है। छोटे—छोटे मशीन लगा कर के जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, उसको सील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में सभी को सील किया जा रहा है। अवैध उगाही हो रही है। एमसीडी की गुंडागर्दी चल रही है। पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ केन्द्र सरकार से कि तुरन्त अध्यादेश ला करके इस के ऊपर में रोक लगाई जा सकती है। अस्थाई रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद इन सभी लोगों को राहत मिल सकती है। आप ने मुझे इस विषय को उठाने का मौका दिया, इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको तहेदिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने एक गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, ये जितनी भी फैक्टरीज चलती हैं और इनसे जो रोजगार उत्पन्न होता है क्योंकि सरकार ये इतने बड़े देश को, हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे–ऐसे प्रदेश हैं उन प्रदेशों को देखा जाए तो दुनिया के अलग से गिना जाए तो दुनिया में चौथे–पाँचवे नम्बर के देश खप जाएँ इतनी आबादी इनके प्रदेश में है। दिल्ली में जितनी भी औद्योगिक फैक्टरी लगी हुई है। अगर आप देखें तो उनकी उससे पहले की जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन कम से कम आपस पास के क्षेत्रों से आई। यूपी से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, राजस्थान से आए और उन्होंने यहाँ पर आकर छोटे–छोटे कारोबार शुरू किये। क्योंकि उस वक्त की सरकारों ने कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिए नहीं की थी कि बहुत बड़े–बड़े इण्डस्ट्रियल एरिया उनके लिए बन जाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। गिनती के दो–चार इण्डस्ट्रियल एरिया थे। लेकिन जिस अनुपात में आबादी थी, उस अनुपात में न तो नौकरियाँ थी, न काम था। लोगों ने अपने लिए रोजगार उत्पन्न करे। लोगों ने छोटी–छोटी औद्योगिक फैक्टरियाँ लगाई। उस वक्त इम्पोर्ट वगैरह भी नहीं होते थे। अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो। सब छोटी–छोटी चीजें जूते की फैक्टरियाँ, कपड़ों की फैक्टरियाँ यहाँ पर लगनी शुरू हुई। न सिर्फ उससे रोजगार बढ़ा, बल्कि लोगों को जो सामना चाहिए था, वो आसानी से मिलना शुरू हुआ, सस्ता मिलना शुरू हुआ। एक फैक्टरी, दरअसल एक फैक्टरी एक आदमी की नहीं होती। उससे पाँच सौ परिवार तो लगभग

डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जो उसमें से पचास सौ आदमी उसके अंदर काम करते हैं। उसमें ठेकेदार होते हैं, उसमें लेबर है। उसके अलावा कोई पानी सप्लाई करता है, कोई उसके लिए डाई बनाता है, कोई उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले उसमें कॉर्टन लगते हैं। उस कॉर्टन के अंदर स्टिकर लगते हैं। बहुत लम्बा काम है ये और उसके बाद में वो माल कहीं पहुँचता है। उसमें आजकल कम्प्यूटर का भी काम होता है। उस सब के बाद वो जाकर सामान पहुँचता है। उससे पाँच सौ आदमी जो डायरेक्ट जुड़ते हैं और एक फैक्टरी बंद करने का मतलब एक फैक्टरी बंद करना नहीं है, एक फैक्टरी की सील करना, एक फैक्टरी को सील करना नहीं है बल्कि पाँच सौ परिवारों की जिंदगी को सील करना है। इससे छोटा कुछ नहीं है। उस वक्त क्योंकि उन लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, उन्होंने छोटी–छोटी जगहों पर फैक्टरियाँ लगाई। हम सब जितने भी विधायक बैठे हैं, सबके यहाँ पर छोटे–छोटे ऐसे नॉन कन्फर्मिंग एरिया जिनको बाद में सरकार ने कहा... जो हमसे पहले की सरकारें थीं, उन्होंने उसको नाम दिया; नॉन कन्फर्मिंग एरिया। पहले तो इल्लिगल बोल देते थे लेकिन बाद में नॉन कन्फर्मिंग कहा और उसके अंदर बिजली के मीटर दिये गए; थ्री फेज मीटर हैं वो। किस लिए दिये गए अगर वो नॉन कन्फर्मिंग इल्लिगल थे तो वो थ्री फेज मीटर किस तरीके से लगे? पानी के कनैक्शन दिये गए, तो वो कॉमर्शियल रहे। यानी कि सरकार ने माना। उसके बाद में एमसीडी ने उनको बकायदा लाईसेंस दिया कि वो वहाँ पर काम कर सकती है। यानी कि सरकार ने माना कि ये फैक्टरी चल रही है। उसके बाद भी उस वक्त की सरकारों ने न सिर्फ

उनसे पैसा वसूला। उनको हर तरीके से परेशान किया और उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि वो फैक्टरी तो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है, उनको सील कर दिया जाए। अब उनके बदले में उनको जगह कहीं दी गई, नहीं दी गई। कईयों को कहा गया, ''जी, आपको जगह दे देंगे।'' लेकिन किसी न किसी वजह से उन प्लॉटस को कैन्सल कर दिया गया। एक बहुत बड़ी वजह ये हो जाती थी कि किराये पर फैक्टरियाँ चलाते थे कुछ लोग। अब प्लॉट मिले तो मिले किसे। मकान मालिक को दोगे? जिसकी वो जगह है। या उसको दोगे जिसकी वो फैक्टरी चल रही है। उसमें बहुत सारी कैन्शेलेसन्स आई। ऐसे भी एरिया हैं, जैसे मैं बताता हूँ; मेरे साथ वाले विधायक मेरे साथ में बैठे हुए हैं सोमदत्त जी। इनके एरिया में एक दया बस्ती एरिया है जिसको नॉन कन्फर्मिंग माना गया और 2002 में उसे कन्फर्मिंग एरिया जोड़ दिया गया कि अब तो ये कन्फर्मिंग एरिया है। उसके बावजूद भी वहाँ फैक्टरियों की सील हो रही है कि साहब, जो एमसीडी ने जनरल लिस्ट जो एमसीडी के पास है, वो सन 2010 की है। इतना सारा कन्फयूजन और वो फैक्टरियाँ बंद हैं। वो खुल नहीं रही हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे है। माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई थी। जैन साहब ने वहाँ पे बोला भी है कि इस तरीके से इसकी एक लिस्ट बनाई जाए; उसे कैसे खोला जाए। लेकिन केन्द्र सरकार का जो इसपे रवैया है जैसे कि मेरे भाई ऋतुराज ने कहा कि भई इसपे अध्यादेश नहीं आ सकता। हर चीज पे बात हो सकती है लेकिन जिनसे आपने पैसे लिए, जिनसे आपने सरकार बनाने के पैसे लिए, जिनसे आपने मंदिर बनाने के लिए पैसे लिए, वो पैसे किसने दिए? इन फैक्टरी वालों ने दिए थे। उनसे आपने पैसे... लेकिन आज आप उन्हीं

के पेट पे लात मार रहे हो क्योंकि गुस्सा सिर्फ इतना है कि इन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार को चुना जिससे आपको कुछ तकलीफ है। उन्होंने 67 विधायक एक ऐसी पार्टी को दे दिए, आप इसलिए चिढ़ रहे हैं। अब आपने एक तरीका अपनाया कि पहले तो आपने नोटबंदी कर दी, कि बर्बाद हो जाएँ ये छोटे छोटे लोग, क्योंकि कैश से ही इनके काम चलते हैं। ये कोई आरटीजीएस वाले लोग तो हैं नहीं, किसी को पाँच हजार रुपये की पेमेंट आरटीजीएस से देना कोई आसान काम तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड तो चलते नहीं वहाँ पे। चेक्स पे किसी का इतना यकीन नहीं होता, बाहर से लोग लेने के लिए माल आते हैं। तो पहले तो आपने उनकी कमर वहाँ से तोड़ी, फिर आपने जीएसटी लगाया, छोटी सी एक फैक्टरी, एक ईकाई लेके एक आदमी बैठा हुआ है, किस तरीके से जीएसटी में दो आदमी कंप्यूटर पे बिठाने पड़ रहे हैं, कैसे वो काम करेगा? आपने वहाँ उसकी कमर तोड़ी। अब आपने कहा कि नहीं, अभी भी ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है, केन्द्र सरकार को, ये केन्द्र में जो सरकार बैठी है भाजपा की, उसको लगा कि नहीं, अभी भी ये काम कर रहा है, ये व्यापारी भी तगड़ा होता है, ये जटिल होता है, थोड़ा कठिन सा... आदमी है, मानता नहीं है। ये किसी भी तरीके से अपनी फैक्टरी चलाता है क्योंकि उसके ऊपर कर्जे हैं, उसकी गाड़ी लोन पे हो सकती है, उसकी स्कूटी लोन पे हो सकती है, उसका घर लोन पे हो सकता है, उस बेचारे को कुछ बच्चे पालने हैं, बच्चों की फीस भरनी है तो वो बेचारा किसी भी तरीके से फिर भी उस फैक्टरी को चला रहा था। तो आपने क्या करा कि अब इसको सील ही कर दो, बंद ही करो, ये क्लेश ही खत्म करो ताकि इसको एक बात का दंड मिलना चाहिए क्यों

उसने 2015 में एक ऐसी पार्टी को चुना जिनसे ये नफरत करते हैं, एक आम आदमी पार्टी जो लोगों की बात करती है और व्यापारियों की पार्टी जो थी, जिसे लगता था व्यापारियों की पार्टी है, उसे हरा दिया, उसको तीन सीटों पे कर दिया। आज वो फैक्टरी वाला, जिसकी फैक्टरी बंद हो गयी है, जैसा मैंने बताया कि वो अकेला नहीं, बल्कि 5–6 परिवार उससे जुड़े हुए थे। वो लेबर जो इसका काम करती थी, वो ट्रासपोर्टर जो इसके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ले के जाता था, वो मकान मालिक जो उससे किराया लेता था, वो स्टीकर लगाने वाला, वो कॉर्टन बनाने वाला सब के सब बर्बाद होने की कगार पे आ गये हैं। ऐसी हालात के अंदर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकारें इसके ऊपर, केन्द्र सरकार सोच क्या रही है। दरअसल करना क्या चाहती है कि वो लेबर भी रोड पे आ गयी, फैक्टरी वाला भी रोड पे आ गया। अब ये लोग अपराध नहीं बढ़ायेंगे? अभी मैंने 280 में सवाल देखा, विजेन्द्र भाई ने सवाल लगाया कि दिल्ली में कानून–व्यवस्था खराब हो रही है। अध्यक्ष जी, जिसका बच्चा भूखा मर रहा है, वो क्या करेगा? वो लेबर क्या करेगी जिसके बच्चे को दूध पीने को नहीं मिलेगा, वो फैक्टरी वाला क्या करेगा? जिसके सामने उसके मकान के ऊपर कुर्की हो जाएगी जिसकी, वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर, जिसके सामने उसके ट्रक और उसकी लॉरियों को उठा के ले जाया जायेगा, वो अपराध ही करेगा, वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, गले काटेगा और क्या करेगा?

मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है, ये जो सरकार जिसको सरकार बनाने का मतलब सिर्फ लोगों को नफरत फैलाना, हिन्दू मुस्लिम करना दिखाई देता है। जब फैक्टरी बनती है हिन्दुओं की भी, मुस्लिम की भी, सरदारों

की भी, ईसाइयों की भी, लेबर हर जगह से है। आज दिल्ली के लोग हमारे जैसे लोगों के बच्चे भी लेबर होएं, इन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं। हमारे बच्चे भी हमारे परिवार के बच्चे भी आजकल 10–12–15 हजार की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं जो पहले फैक्टरी चलाया करते थे। मेरा आपके माध्यम से एक बात कहनी है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरिएंस रहा है इस बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी अपनी फैक्टरी में सन 2000 में जब मैं स्कूल के दिनों में था, सील लगी थी। उस सील लगने के बाद में त्रिनगर विधान सभा में फैक्टरी थी, जितेन्द्र भाई अभी यहाँ हैं नहीं, हमने उसकी जगह बदलने के लिए हमने महाराष्ट्र में फैक्टरी लगा ली क्योंकि हमारा ज्यादातर माल साउथ में जाता था। नांदेड़ के अंदर फैक्टरी लगाई, जो उसके साथ गुरूद्वारा है, हमारे भाई अच्छी तरह जानते हैं। और वहाँ पर क्योंकि कानून व्यवस्था बड़ी कमजोर थी और काम हमारा ठीक–ठाक था, वहाँ हमारे डकैती पड़ी। उस डकैती में देखिए, मेरे पिता जी की याद्दाश्त चली गयी। पिक्चरों में देखना अलग चीज होती है याद्दाश्त जाना क्या होता है... हाँ, याद्दाश्त जाने में सिर्फ आदमी आदमी को नहीं भूलता, वो खाना भूल जाता है। वो नहाना कैसे है, ये भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि दरवाजा खोलना कैसे है। उसे कुछ नहीं समझ आता। सील कहना बड़ा आसान है, ये कइयों की जिन्दगी को सील कर देती है, हमारी जिन्दगी उथल–पुथल हो गई। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी गूंगी बहरी सरकार केन्द्र में बैठी हुई है, जो सिर्फ वोटों के लिए किसी गुस्से में, किसी अहंकार में इन फैक्टरियों पे सील लगा रही है, उसके थोड़े से कान खुलें, वो इन व्यापारियों को जिन्होंने इनको पैसा दे दे के बीजेपी को बनाया, एक

मंदिर के लिए पैसे दिए, जो खा गए जिसके लिए इन्होंने डीडीयू पे इतना बड़ा ऑफिस... आपने देखा होगा दीन दयाल उपाध्याय पे बीच में एक बड़ा विशाल कि रामलला तो अभी ताक में ही रह गए, लेकिन इनके ठाठ हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि हम लोगों की आवाज को समझें, हमारे परिवारों की आवाज को समझें, हमारी दुहाई को समझें और तुरंत से तुरंत अध्यादेश लेके आएँ और सील को रूकवाएँ । आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सरिता जी। भई क्या दिक्कत हो रही है? सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक ऐसे गंभीर विषय में मुझे बोलने का मौका दिया है जिससे पूरी दिल्ली आज त्राहि–त्राहि है, पूरी दिल्ली में आज एक आक्रोश का माहौल है और इस विषय को शायद मैं इस विधान सभा में पिछले सेशन से भी कई बार उठा चुकी हूँ। मेरी अपनी विधान सभा में सीलिंग रूपी राक्षस पिछले कई महीनों से लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो। मेरी विधान सभा में यमुनापार के बहुत बड़े बड़े मार्किट हैं, रिटेल मार्किट हैं, चाहे वो बाबरपुर रोड हो, चाहे वो मंडोली रोड हो, चाहे वो लोनी रोड हो, चाहे वो अशोक नगर के खुदरा व्यापार हो, चाहे वो छोटी छोटी जैसे अभी ऋतुराज भाई बता रहे थे छोटी छोटी फैक्टरियाँ कि जींस लगाने में कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है। अगर किसी को नट बोल्ट बनाना है तो उसमें कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत भयंकर कहर सीलिंग का, सीलिंग जिससे मतलब बहुत भयंकर सीलिंग का एक प्रकोप मेरी विधान

सभा में है। मैंने आज स्पेशियली इस विषय में बोलने के लिए इसी लिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि मेरी विधान सभा में... पिछले हफते दैनिक जागरण न्यूज पेपर में ये खबर आई थी सीलिंग के डर से कारोबारी की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गयी। मैं इस परिवार की व्यथा इस विधान सभा में रखना चाहती हूँ। वीरेन्द्र पांचाल जी नाम था उनका, उनकी एक छोटी सी फैक्टरी, बिल्कुल छोटी सी फैक्टरी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता था, वो बेसिकली पांचाल समाज से थे तो वो लोहे का छोटा मोटा काम करते थे, जिससे न आस—पास में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत थी और न ही कोई पॉल्यूशन हो रहा था, एक छोटी सी फैक्टरी और नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद में उनकी जो इन्कम था, वो नेगेटिव में था, जिस दिन उनकी मौत हुई, जब एमसीडी के अधिकारी लगातार पिछले 15 दिनों से लगातार उनके घर पे आ रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे कि अगर ये फैक्टरी यहाँ से नहीं हटाई तो फैक्टरी सील कर देंगे... फैक्टरी नहीं हटाई तो सील कर देंगे और अगर वहीं पे फैक्टरी रखनी है तो अलग अलग अधिकारी, अलग अलग टाईम पे कोई 5 लाख माँगता था, कोई 15 लाख माँगता था, कोई 20 लाख माँगता था, उस व्यापारी की ऐसी नौबत आ गयी थी कि उनकी दो बेटी हैं, उन बेटियों ने अपने मतलब इस विधान सभा में मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ होती है तो उसकी इज्जत होती है सर। उन्होंने अपने पापा को बचाने के लिए, उनके व्यापार को बचाने के लिए, उनकी फैक्टरी को बचाने के लिए अपने दुपट्टे तक को नीचे रख दिया था सर। ये घिनौनी साजिश पूरी दिल्ली में मैं तो अपना ये पर्सनल एक्सपीरिएंस बता रही हूँ, जिस दिन उनकी एक तरफ उनकी

फैक्टरी का मशीन निकाला जा रहा था और दूसरी तरफ वो जमीन पे गिर जाते हैं, उनकी ऑन द स्पाट डेथ हो जाती है। मैं इसको डेथ नहीं मैं तो इसको सीधी सीधी केन्द्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा किए जाने वाली हत्या बोलूँगी। सीधी सीधी उनकी हत्या की गयी है और जब उनके पार्थिव शरीर को जब संस्कार के लिए ले जाना था तो उस परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो चार लकड़ी जुटा सकें। उस परिवार तक को एमसीडी ने नहीं बख्शा। जिनके पास एक रुपया देने को नहीं थे, वो पाँच लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये कहाँ से देंगे और ऐसी कई घटनाएँ यमुनापार में कई बार हो चुकी हैं। सीलिंग का जो ये कहर नाजायज रूप से... जिस तबके की राजेश भाई ने बात करी, उनके पास तो इतने पैसे थे कि वो पाँच कर्मचारी, 10 लेबर, 15 लेबर, 20 लेबर रख सकें, मैं तो उस वर्ग की बात कर रही हूँ कि अगर जिस वक्त वो दुकान खोलते हैं और शाम को उनकी दुकान में 50 रुपये की बोनी नहीं होगी, तो रात में उनके बच्चों को नमक खाके पानी पीना पड़ेगा, मैं तो उस वक्त की बात कर रही हूँ। वो वर्ग भी रात पूरी तरह से सीलिंग से बिल्कुल परेशान हैं, और इस बात से बिल्कुल सहमति है कि लोक सभा में हर चीज को लेके अध्यादेश आ सकता है, लोकसभा में किसी भी चीज को लेके अध्यादेश आ सकता है, सेक्रेटरी बदलने से लेके किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे पर। पर आज दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली की जनता, दिल्ली का हर वर्ग, क्योंकि व्यापारी से सब जुड़े हैं, काम–काजियों से सब जुड़े हैं, कोई उनका लेबर का काम करता है, कोई और... मैं तो ये कहती हूँ कि कोई जो खरीददार है, वो भी कहीं न कहीं व्यापार में नुकसान होने से उनको भी नुकसान

है। आज पूरी दिल्ली जो व्यापारियों, व्यापारी जिसकी नींव है आज पूरी दिल्ली परेशान है पर दिल्ली में, और लोक सभा में मोदी जी की सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती। हम ये मतलब आज सुबह ही मेरी एक जगह पे मीटिंग थी जहाँ पे लोगों ने मुझे केवल इसी विषय पे बुलाया कि विधायक जी, कुछ तो सीलिंग को लेके करिए। राम नगर में ही मीटिंग थी विधायक जी, कुछ तो सीलिंग को लेके करिए। लोग इस मोड़ पे आ गये हैं कि उनके पास सुसाईड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर अब सीलिंग ये हमें निजात नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेगें, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। एक तरफ मोदी सरकार का ये सौतेला व्यवहार लोगों की हत्या कर रहा है; चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि किसान सुसाइड कर रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है। इस देश में व्यापारियों की हत्या की जा रही है। उनका कर्ज न माफ करके उनकी फैक्टिरियों पर सील लगा के बिल्कुल सीलिंग एक ऐसा प्रहार है, सीधे–सीधे कारोबारियों पर सीधे–सीधे दुकानदारों पर, सीधे–सीधे फैक्टिरीज पर जिसको बर्दाश्त कर पाना एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो इस पर एक बिल्कुल हमारी तरफ से रेजलूशन जाना चाहिए कि लोकसभा में एक अध्यादेश लायें, जो मुझे पता है कि नहीं आने वाला है और इसी तरह से केवल वोट के लिये मोदी सरकार ने बीजेपी ने व्यापारियों का यूज किया है और शायद आगे भी करते रहेंगे पर अब उनकी आँखें खुल चुकी हैं अब इस बार 2019 में दोबारा वो ये गलती नहीं करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये अब, सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सीलिंग ऐसे महत्वपूर्ण मुददे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं जिस विधानसभा से आता हूँ; गाँधीनगर विधानसभा से। एक्चुअल में सबसे ज्यादा ऋतुराज भाई कह रहे थे लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अगर उससे भी कहीं ज्यादा अगर लोग परेशान हैं तो मेरी गाँधीनगर विधानसभा में हैं। कम से कम चार से पाँच लाख लोग आज वहाँ पर इफेक्टेड हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी विधानसभा से अच्छी तरह भली भाँति परिचित हैं। हर दूसरे तीसरे घर में, कम से कम कोई न कोई फैक्टरी जरूर चल रही है। चाहे वो सिलाई की हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी की मशीन हो, चाहे वो पर्स बनाने के लिये हो और चाहे वो रूमाल तक भी हो। कोई भी हो लेकिन आज स्थिति ये है कि लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है, ईडीएमसी को... ईडीएमसी के लोग कन्वर्जन चार्जेज के नाम पर लोगों से पूरी लूट कर रहे हैं। आज की डेट में, मान लो अगर कहीं सीलिंग होने के लिये जाती है जिसने ईडीएमसी के अधिकारियों को, इंसपेक्टर को पैसे दे दिये, उसकी सीलिंग नहीं हुई। जिसने पैसे नहीं दिये सर, उसकी दुकान सील कर दी गई। जिन लोगों को बवाना में प्लॉट मिले जिन्होंने बवाना में प्लॉट को सरेण्डर कर दिया ऐफेडेविट दे दिया, उन लोगों को सीलिंग के नोटिस आ गये।

अभी मैं कुछ दिनों की घटना बताना चाहता हूँ, आज से दो महीने पहले की। मैं वहाँ एक कार्यक्रम में था। मेरे पास फोन आया सर कि सीलिंग वाले आ गये हैं; ढाई तीन हजार लोगों का हजूम था वहाँ पर। मुझे फोन किया गया। प्रतिनिधि होने के नाते मैं गया। अनऑथोराइज्ड एरिया था; शांति मौहल्ला, कच्चा शांति मौहल्ला जो आज भी अनऑथोराईज है, वहाँ पर सीलिंग वाले सारे लोग सीलिंग कर रहे थे। मैंने कहा, भई बताइए, आप सीलिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अभी कुछ दिन पहले बतलाया, वो अलग बात है। उस समय की बात कर रहा हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अगर आप कहीं पर अगर सीलिंग करेंगे तो आप उसको कन्जयूमर को या जो भी वहाँ पर व्यापारी होगा, आप उसको नोटिस देंगे मैंने कहा, ''हेव यू नोटिस?'' कह रहा, ''जी नोटिस तो दिया नहीं।'' मैंने कहा, ''लिस्ट तो है?'' कह रहे हैं, ''लिस्ट भी नहीं है।'' लोग साथ थे मेरे। हम लोगों ने उनको भगाया। मेरे खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करने की पूरी कोशिश की गई। हमको डीएचओ ने कहा। मैंने कहा बात सुनिये, ''अनऑथोराइज एरिये में आप सीलिंग नहीं कर सकते।'' और सुप्रीम कोर्ट और मॉनिटरिंग कमिटी ये कहती है कि अगर सीलिंग हो रही है, आप उनको नोटिस दीजिये। मैंने कहा, ''गरीब लोग हैं। ये जायेगें कहाँ'' सर, कई अजीत नगर के हमारे व्यापारी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप पूछिये उन से सर, वो आज भी उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। अभी एक के घर में... परिवार में बीमार थे वहाँ के लोगों ने अजीत नगर और धर्मपुरा के लोगों ने आपस में पैसे इकटठे कर के उसका इलाज कराया और उनके खाने की व्यवस्था की गई। आज एक शर्ट अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, बनती है तो एक

शर्ट सिलने के लिये 12 से 13 लोग उसके अंदर एन्वॉल्व होते हैं, कॉलर बेचने वाला वो छोटा व्यापारी, धागा बेचने वाला, वो छोटा व्यापारी, सिलने वाला वो छोटा बिचारा लेबर, व्यापारी, उसके बाद प्रेसमैन। वो छोटा आदमी उसके बाद पैकिंग में माल जाता है, वो छोटा आदमी, चौदह लोग। आप समझ लीजिये, उस रोजगार से जुड़े हए हैं। और अगर एक दुकानदारों ने और भी कर रखा है दुकानदारों ने सब जगह कह दिया, भैया, अगर दस लेबर काम कर रही है, उन्होंने कहा भाई, ''बात सुनो, आठ लेबर अपने घर चले जाओ।'' अब वो बेचारे लोनी से लोग रोज सुबह महिलाएँ हमारे यहाँ बहुत... 80 परसेंट महिलाएँ काम करती हैं जो फैक्टरियों में धागा काटती हैं। वो बेचारी महिलायें रोज अपना बैग लेकर दुकानदारों के पास आती हैं, फैक्ट्रियों के पास आती हैं, साहब, दरवाजा खटखटा के साहब मुझे धागा काटने की नौकरी मिल जायेगी जिस समय ये अमानवीय घटना हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं आंखों से आँसू निकलते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था हमारे यहाँ तीन से चार हजार लोगों की भरी सभा थी और माननीय मुख्य मंत्री जी आये थे। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हमें साहब, ये बता दीजिये जैसा ऋतुराज भाई कह रहे थे सबके लिये अध्यादेश पास हो सकता है, हमारे लिये क्यों नहीं पास हो सकता? मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का वो कथन याद है कि सात सांसद हैं आज दिल्ली के, जिन में एक भी सांसद ने आज तक लोकसभा के अंदर और न ही राज्यसभा से भी आते हैं, सात हैं, दो मंत्री हैं। राज्यसभा के भी सांसद हैं। एक भी सांसद ने लोकसभा के अंदर दिल्ली के व्यापारियों की बात नहीं उठाई। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लेकिन हम लोगों ने माननीय

संजय सिंह जी से कहा। हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उन के पास गये। मैंने कहा, माननीय संजय सिंह जी, आप राज्यसभा के... मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन उनका राज्यसभा में था और हमने उनके सामने सारी बात रखी, सारी डिटेल रखी। माननीय संजय सिंह जी ने हम लोगों की, गाँधी नगर के व्यापारियों की आवाज दिल्ली के लोगों की आवाज राज्यसभा के अंदर उठाई लेकिन ये बहरे और गूंगे सांसद इन्होंनें आज तक एक भी आवाज जो है, लोकसभा के अंदर नहीं उठाई। जब हमारे सांसद उठा सकते हैं तो ये क्यों नहीं उठा सकते? लेकिन एक काम जरूर करते हैं जो इनका भाजपा का अध्यक्ष है, सांसद भी है। जिसको मैं कहूंगा... नचकैया कहता हूँ, ये सिर्फ नाचने का काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं किया। जा के सील तोड़ दी। अरे भई! घटिया राजनीति क्यों करते हो? अगर राजनीति करनी है तो जनता के बीच में आ के खड़े हों और मैं आज भी आपसे सर, कहता हूँ सदन के माध्यम से, मैंने मीडिया के लोगों से कहा है कि अगर गाँधी नगर में सीलिंग होगी और अगर जेल जाना पड़ा तो सौ बार जेल में जाने को तैयार हूँ और मैंने व्यापारियों से भी कहा है और आज भी मैं तीन–चार बार गया। मैंने कहा, मैं मनोज तिवारी की बात नहीं करता झूठी लोकप्रियता हासिल करते हैं। अगर गाँधी नगर मे सीलिंग... लोग मुझे फोन करते हैं, मैं जाऊँगा और अगर जेल भी जाना है तो बेशक सुप्रीम कोर्ट जेल भेज दे मैं डरने वाला नहीं हूँ और जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है कि अगर हम लोग क्यों नहीं आज हमारे सात सांसद नहीं हैं? जीत कर आये हैं। अगर हमारे काश! अगर हमारे लोकसभा में अगर सांसद होते तो आज

ईंट से ईंट बजा देते उनकी लेकिन नरेन्द्र मोदी जी का उनका तो ये है कि गरीबों से कोई लेना–देना नहीं। कोई भूखा मरे, कोई फर्क नही पड़ता मन की बात कह लो और ढकोसले वाली बात कर लो काम किसी का उन्होंने करना नहीं है।

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः लेकिन आने वाला समय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ 2019 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। दिल्ली का व्यापारी चोर नहीं है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आज दिल्ली के जितने स्वर्णकार भाई हैं हमारे, जितने ज्वैलरी का काम करते हैं, रोज मैं उनकी दुकानों पर कई बार जाता हूँ कहते हैं, ''भाई साहब पानी पी रहा हूँ अनिल जी और पेट बांध के जब ये नरेन्द्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा जब ये भाजपा की सरकार जायेगी तो भंडारा करूँगा आपकी दुकान के आगे।'' ये लोग कहते हैं जा के, तो आज कोई भी व्यापारी हो...

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये, बाजपेयी जी, कन्कलूड करिये, प्लीज।

श्री अनिल बाजपेयीः सारा खिलाफ है और इस सदन के माध्यम से मैं माँग करता हूँ, वैसे तो गूंगे बहरे हैं, कुछ सुनने वाले हैं नहीं। वो सर, बता दूँ आपको, फिर भी इस सदन के माध्यम से और अपने गाँधीनगर और आसपास सर, आपका इलाका भी है; विश्वासनगर पूरा सील हो गया है। आज देखिये, 70 परसेंट लोग विश्वासनगर में सील हो गये हैं। माननीय मंत्री जी भी मेरी विधानसभा में गाँधी नगर गये थे, व्यापारियों के बीच मिले

थे। पूछ लीजिये। वहाँ के व्यापारी क्या कह रहे थे, भाई विशेष रवि जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में भी व्यापार है, अलका जी बैठी हैं चांदनी चौक में सारा कपड़ा वहाँ से आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ समस्या... लक्ष्मी नगर की पूरी मार्किट नितिन भाई की है जहाँ छोटे छोटे बेचारे व्यापारी हैं और कन्वर्जन चार्जेज के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की लूट इन ईडीएमसी और एमसीडी के लोगों ने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कुछ करें या न करें लेकिन सदन में एक बात जरूर आप कर सकते हैं कि इनकी ज्यूडिशयल इन्कवायरी सदन के लिये कोई कमिटी बिठाई जाये कि आज ईडीएमसी ने जो पैसा इकट्ठा किया है कन्वर्जन चार्जिस के नाम से, वो कहा गया, उसकी जाँच होनी चाहिए। इसकी जाँच की मैं मांग करता हूँ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, सभी विधायक साथियों ने आज सीलिंग के विषय में अपनी बात रखी है। अध्यक्ष जी, जब सीलिंग पिछले साल शुरू हुई, नवम्बर–दिसम्बर का समय था और करीब एक साल हो गया। तो सबसे पहले जो सीलिंग हुई वो हमारे सामने मदन लाल जी बैठे है, उनके यहाँ डिफेंस कॉलोनी मार्केट है और दिल्ली की और साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी जानी मानी मार्केट्स के अंदर है ये मार्केट है, डिफेंस कॉलानी मार्केट के अंदर ये सीलिंग हुई। Moeits Restaurant है वहाँ पर और कई बड़े restaurants हैं, कई बड़े दुकानें हैं वहाँ पर। और

मूल कारण उस सीलिंग का ये बताया गया कि इन मार्केट्स ने, इन दुकानदारों ने कंवर्जन चार्ज नहीं भरे। और इसी तरीके से ये सीलिंग कही गई कि ये साउथ एक्स में की जाएगी और जितनी भी इस तरीके की मार्केट्स हैं इनको लोकल शापिंग सेंटर कहा जाता है और इनसे पिछले एक साल में इनको डरा–डरा कर एमसीडी ने कई सौ करोड़ रूपए इकट्ठे किए है अध्यक्ष महोदय। और पिछले साल हम सबको याद है कि इसके बारे में काफी चर्चा रही कि अब डीडीए, देखिए सीलिंग के विषय में सब लोग जानते हैं कि अध्यादेश लाना पड़ेगा और केंद्र सरकार ये अध्यादेश ला सकती है, मगर ला नहीं रही है। कई महीने तक ये नाटक चलता रहा कि डीडीए अपना मास्टर प्लान बदल रही है और मास्टर प्लान बदलने के बाद ये जो सीलिंग है, ये रूक जाएगी और मास्टर प्लान बदलने से पहले पब्लिक को समय दिया गया, हम लोगों को विधायकों को समय दिया गया कि आप लोग आएँ तो अपनी बात रखें। हम सबने अपना फीडबैक दिया और उसके हिसाब से मास्टर प्लान के अंदर बदलाव किया गया।

अध्यक्ष जी, अब मैं आपके सामने इस सदन में कुछ ऐसी डिटेल्स रखूंगा जिससे आप सब लोग चौंक जाएँगे कि किस तरीके से एमसीडी व्यापारियों को लूटने का पुरा षडयंत्र एमसीडी कर रही है और उन लोगों से भी पैसे ले रही है जिनको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, ये मास्टर प्लान जो बदला डीडीए का, ये जून 21, 2018 में बदला गया और इस मास्टर प्लान के मुताबिक चाहे वो ग्रेटर कैलाश की मार्केट हो, एम ब्लॉक की मार्केट, एन ब्लाक की मार्केट, चाहे वो डिफेंस कालोनी की मार्केट हो, चाहे वो सफदरजंग एन्क्लेव की मार्केट हो, चाहे वो साउथ एक्स की मार्केट

हो, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी की मार्केट हो, इन मार्केट्स में किसी भी दुकानदार को कंवर्जन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उनको एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं। ये बात मास्टर प्लान में साफ हो गई है अमेंडमेंट के अंदर। उसके बावजूद कई सौ करोड़ रुपये इकट्ठे किए गए। और मैं आपके सामने सदन के पटल पर चिट्ठियां रखना चाहता हूँ, ये डीडीए की चिट्ठी हैं। ये डीडीए की पहली चिट्ठी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये है 14 सितम्बर, 2018 की, ये डीडीए ने एमसीडी को लिखी है। एमसीडी ने डीडीए से पूछा कि क्या हम इन कमर्शियल काम्प्लेक्स की लोकल शापिंग सेंटर्स के अंदर दुकानों से कंवर्जन चार्ज ले सकते है और डीडीए ने स्पेसिफिकली लिखा है,

'Regarding the payment of conversion charges as per para 56 3C of Master Plan of 2021 dt. 21.6.2018, it is clear that any shop cum residence plot or shop plot such as plot declared as LSC or CSE which are already under commercial use, zone or plots for which plans were sanctioned for commercial use on all floors are not liable to pay any commercial charges.'

मतलब ये जो एम ब्लॉक मार्केट है, एन ब्लॉक मार्केट है, डिफेंस कॉलोनी मार्केट है, इनसे कंवर्जन चार्ज नहीं ले सकते, ये डीडीए कह रहा है। एमसीडी को लिखित में कह रहा है। इसके बाद इन्होंने दुबारा पूछा एमसीडी ने डीडीए से और डीडीए ने दुबारा इनको चिट्ठी लिखी है 17.10.2018 को, जिसके अंदर एडिशनल कमिश्नर, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर को लिखा गया डीडीए की तरफ से, उप निदेशक,

योजना, मुख्य योजना और इसमें इन्होंने दुबारा यही बात क्लेरीफाई की कि आप इन दुकानों से, लोकल शापिंग सेंटर्स से कंवर्जन चार्ज नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब ये दुकानें दी गई थी, इनकी जो जमीन दी गई थी वो कमर्शियल ही थी। इनको ये आप्शन दिया गया था कि आप दुकानों के ऊपर रह भी सकते है, या उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग शुरू में रहते थे, बाद वो कमर्शल उसका इस्तेमाल करते थे। डीडीए ने बकायदा जो लीज दी है, जो सेल डीड की है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जमीन कमर्शियल है। दो बार जब ये क्लैरीफिकेशन डीडीए से चला गया एमसीडी के पास, तो एमसीडी के अंदर घबराहट शुरू हुई। वो सारे एमसीडी के अंदर भाजपा के काउंसलर, जो एमसीडी के अंदर सरकार बनाकर बैठे हैं, जिनका बीजेपी का मेयर है, स्टेंडिंग कमिटी की चेयरपर्सन है, उन सबने षडयंत्र बनाया कि ये जो करोड़ों रुपया आ गया है और गलत तरीके से हमने दुकानदारों से वसूला है, इसको कैसे अपने पास रखा जाए और आगे भी वसूलते रहें। तो डीडीए को एमसीडी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, मैं आपके सामने अध्यक्ष जी वो चिट्ठी भी रखना चाहता हूँ। डीडीए को एमसीडी के कमिश्नर पुनीत गोयल ने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड पर हाउस के ये रखना चाहता हूँ। 26.10.2018 को... उसके अंदर जो मुख्य चीज है, पुनीत गोयल जी ने लिखी है, डीडीए के वाइस चेयरमैन तरूण कपूर को, मुख्य बात इसके अंदर ये लिखी है कि ऐसे–ऐसे हमें बताया गया है कि इनको पैसा वापस देना है, 'It may be mentioned that the part payment of the used conversion charges of upper floors in the shop plots have been received in number of cases. *Bahut saari*

jagahaon se hamne already conversion charge wasoon liya hai. The quantum of conversion charges received from the shop owners under the jurisdiction of South Delhi Municipal Corporation is about 951 crores.

Matlab South Delhi Municipal Corporation ne in dukandaron se kareeb-kareed 951 carore rupeya wasool liya hai. out of which substantial portion is from these LSC shops.

मतलब 951 करोड़ में से ज्यादातर पैसा इन दुकानदारों से लिया है जो गलत ले लिया हमने और अगर अब उसको वापस करना पड़ेगा तो उसके ऊपर हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। ये एसडीएमसी के कमिश्नर डीडीए को लिख रहे हैं और उसके बाद डीडीए दुबारा एक चिट्ठी मंत्री जी को भेजता है अपने यहाँ और चिट्ठी के अंदर एक झूठा क्लैरीफिकेशन ले लेते है कि हम जो पुरानी चिट्ठी भेजी है हमने, वो चिट्ठी हम वापस ले रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है अगर मास्टर प्लान आपने अमेंड कर दिया और ड्यू प्रोसीजर से आपने मास्टर प्लान को अमेंड किया है और अमेंडमेंट के बाद ये बात मास्टर प्लान में आती है कि आप इन दुकानदारों से कंवर्जन चार्ज ले ही नहीं सकते क्योंकि इनकी दुकानें कमर्शियल लेंड पर बनी हुई हैं। तो क्या किसी मंत्री की चिट्ठी, या किसी एमसीडी के कमिश्नर की चिट्ठी या किसी डीडीए के वाइस चेयरमैन की चिट्ठी से आप मास्टर प्लान की अमेंडमेंट बदल सकते है? आप नहीं बदल सकते है। मास्टर प्लान की अमेंडमेंट तो डीडीए ने बदली है, बकायदा चर्चा करके, अखबार के अदंर

एडवर्टाइजमेंट देकर, उन सब लोगों की चीजों को सम्मिलित करके डीडीए की अथोरिटी में अमेंडमेंट पास हुआ है। और क्योंकि आपने गलत तरीके से दुकानदारों से 951 करोड़ रुपया ले लिया है तो अब सोच रहे है कि अब ये वापिस ना करना पड़े।

मेरा कहना ये है अध्यक्ष जी, कि ये मामला बहुत गम्भीर है। दुकानदारों से सीधी–सीधी लूट की गई है और एमसीडी के जितने भी म्युनिसिपल काउंसलर हैं जो इन दुकानदारों के हितेशी बनते हैं, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, चाहे इनके यहाँ साउथ एक्स के अंदर हो, चाहे डिफेंस कॉलानी के अंदर हों, ये जितने भी म्युनिसिपल काउंसलर हैं, पार्षद हैं भाजपा के, ये सब मिलकर इन दुकानदारों को लूट रहे हैं। और इनकी देखरेख के अंदर इतना बढ़िया षडयंत्र इन दुकानदारों के साथ किया जा रहा है, जो इनको मालूम भी नहीं है। मेरा ये मानना है अध्यक्ष जी, कि आप इस विषय को बहुत सीरियसली लेकर इस विषय को सीधे–सीधे जो हमारी एमसीडी की कमिटी बनी हुई है, जिसके अंदर सीलिंग का विषय चल रहा था, उसके अंदर आप इसको रेफर करें और अपने यहाँ से सीट से डॉयरेक्शन दें कि खुद एमसीडी के कमिश्नर पुनीत गोयल उसके अंदर पेश हों, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो खुद नहीं आते, वो दूसरे अधिकारियों को भेज देते हैं। और फिर वो जो बात है वो इधर उधर घूमती रहती है। खुद एमसीडी, साउथ एमसीडी के कमिश्नर–पुनीत गोयल उस कमिटी में पेश हों और वो कमिटी जो है, इस मामले को सीरीयस्ली ले। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री–श्री सत्येन्द्र जैन जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय पीडब्लूडी मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अक्सर ये कहा जाता है कि मेन रोड्स के ऊपर दुकानें बनाना या मिक्स लेंड यूज करने से कुछ गड़बड़ हो जाती है, शहर खराब हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि ऐसे गड़बड़ हो जाती है। पूरे संसार के अंदर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, किसी भी डेवलप्ड शहर के अंदर आप चले जाइएगा, जितनी भी मेन रोडस हैं, सबकी सब रोडस के ऊपर दुकानें ही दुकानें हैं, सभी जगह। आप लंदन चले जाइएगा, पैरिस चले जाइएगा, रोम चले जाइएगा, कहीं पर भी चले जाइएगा, सिंगापुर चले जाइएगा, मेन रोड के ऊपर, जितनी भी मेन रोडस होती हैं, ग्राउंड फ्लोर सबका कमर्शियल होता है, ऊपर लोग रह रहे होते है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये सबको क्लीयर होना चाहिए कि अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर दुकान भी चलती है, उसी बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर के ऊपर चार लोग छोटा–मोटा काम भी कर रहे हैं और उसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर के अंदर अगर लोग रहते भी हैं तो कोई क्राइम नहीं है। ये फंडामेंटल सोच के ऊपर जाना पड़ेगा, डीडीए के अंदर जो एक सोच बनी हुई है, एक विकास मीनार है जिसको विनाश मीनार भी कहा जा सकता है, 22 मंजिल की बना रखी है उन्होंने, उसका एक इग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगा, इन्होंने रोहिणी को डिजाइन किया और उसको प्लान स्लम कहा जाता है और प्लान करके स्लम बना दिया एक। इतनी बड़ी एरिया बनाया, लाखों लोगों को बसाने का इंतजाम कर दिया, 26–26 मीटर के प्लॉट बना दिए हैं। अब आप सोच के देखिए, 26 मीटर का प्लॉट है

उसके अंदर चार मंजिल खड़ी कर दी जिसमें जीना चला जाएगा। अब जीना जाने के बाद, स्टेयरकेस जाने के बाद 26 मीटर में बचता क्या है? उसके अंदर बनेगा क्या ये बता दो? आगे सड़कें, पीछे सड़क। उसके बाद ऐसी कालोनी पूरे संसार में मिलेगी जहाँ पर सड़कों का एरिया, जब कि 10 से 15 परसेंट होना चाहिए रोड एरिया, टोटल जो डवलपमेंट एरिया है, जहाँ पर किसी पॉकेट आप एरिया देखेंगे, 25 परसेंट, 30 परसेंट, 40 परसेंट तक एरिया जा रहा है सड़कों में। तो बड़ा प्लानिंग के अंदर उनका सोच क्या है कि ड्राफ्टसमैन की तरह उठाया, लाइनें लगाई और जो बन गया, वो बन गया। फिर उसके बाद कहते हैं, 'जी, आपका घर यहाँ पे होगा, आपकी दुकान यहाँ पे होगी, आपका ऑफिस वहाँ पे होगा, आपका फैक्टरी वहाँ पे होगा। आज ये सब खत्म हो चुका है। दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, दुबई में बनी है अभी; बुर्जखलीफा। एक किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर कौन सी ऐसी एक्टीविटी है जो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, उसके अंदर अपार्टमेंटस भी है, उसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेज भी हैं, उसी बिल्डिंगस के अंदर ऑफिसेज भी हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी है, उसी बिल्डिंग के अंदर सिनेमा हाल भी है, रेस्टोरेंट भी है, एक ही बिल्डिंग के अंदर सब कुछ है। अगर डीडीए के सोकॉल्ड प्लानर्स हाइथिंकर्स को अगर लगा दिया जाए तो वो कहेंगे, 'नहीं–नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी–भी। कैसे हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर सब कुछ हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है।' और इसी वजह से, जब 2006 के अंदर मिक्स लैंड यूज या कुछ रोड को कमर्शियल किया गया, ये सरकारों ने तो कर दिया पर जो वहाँ पर अफसर बैठे हुए हैं दफ्तरों

में, जो सोकॉल्ड प्लानर बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही ये बात। उनको हजम नहीं हो रही है। वो कहते हैं, 'कोई ना कोई तरीका निकालो, उनको सील कर दो, बंद कर दो, गंदगी फैला रहे हैं। गंद कर रहे हैं।' अगर इसी बात पे जाएँगे तो जो लोग रह रहे हैं, वो भी गंद फैला रहे हैं फिर तो। फिर तो दिल्ली के अंदर बस हाई–फाई लोगों को रख लो, बाकी को निकाल दो। सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर मिक्सलैंड यूज होना या मिक्स सर्विसेज होना कोई गलती नहीं है। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जो 952 करोड़ अभी ये बताया हमारे साथी ने। सौरभ जी ने जैसे बताया, ये बिल्कुल सही है। भई कन्वर्जन चार्ज लेते हैं आप, रैजिडेंसल से किसी प्रॉपर्टी को कमर्शियल कन्वर्ट किया, कन्वर्जन चार्ज दिए, कमर्शियल से कमर्शियल कन्वर्ट करने के कन्वर्जन चार्ज कैसे हुए, वो तो कमर्शियल से कमर्शियल वह था ही। उसको कन्वर्जन चार्ज कैसे कह सकते हो आप? 1962 में कमर्शियल प्रोपर्टी थी, 2018 में भी कमर्शियल प्रोपर्टी है, आपने कहा, 'जी कन्वर्जन चार्जेज दे दो।' किस बात के कन्वर्जन चार्जेज? भई आपका कर्न्वज कुछ... क्या कर्न्वज किया है आपने? कि नहीं जी, पहले भी कमर्शियल था, अभी भी कमर्शियल कर दिया। इसका मतलब वो सिर्फ पैसे ऐंठने का तरीका है, पैसे कमाने का तरीका है, लोगों को तंग करने का तरीका है। अब जैसे बाजपेयी जी कह रहे थे, अगर छोटे–छोटे कुटीर उद्योग एक घर के अंदर कोई कढ़ाई कर रहा है, सिलाई कर रहा है, छोटा–मोटा कोई काम कर रहा है, मास्टर प्लान के अंदर 60–70 चीजों की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर सिलाई का काम भी होता है, ये छोटे–मोटे मशीन लगाने का काम भी होता है। मास्टर प्लान

में लिखा गया है वो अलाउड है। तो उसको कहते है, क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं? इसका मतलब जैसे वो है ना, टैंपू में लाउडस्पीकर लगा दिया कि किराड़ी की सारी फैक्टिरियों को कल बंद करेंगे। उनको भी पता है बंद नहीं करना, सबसे पैसे इकट्ठे कर लेने है, टैंपू वो अगले दिन लाउडस्पीकर लेके चलता है, अगले दिन पैसे इकट्ठे करने के लिए चलता है वो। सीलिंग करनी भी नहीं है, सीलिंग का मैं बता देता हूँ, सीलिंग के लिए इनको जो ऑर्डर भी मिलते हैं अध्यक्ष महोदय, अगर 20 प्रोपर्टीज की सीलिंग करने का ऑर्डर उनके हाथ में है तो 100 को सीलिंग कराते हैं ये लोग। 80 तो करनी ही नहीं थी। उन 80 से पैसे लेके खोल आते हैं जाके। कहते हैं, 'भाई साहब, पैसे मिल गए, खोल दी। जाओ, मजे करो। जो 20 रह गए, उनसे कह दी, 'तुम्हारी शिकायत कर दी पड़ोसी ने, अब तुम्हारा नहीं हो पा रहा।' तो सबसे ज्यादा चक्कर क्या है कि सारा का सारा इश्यू ये पैसे कमाने का धंधा बना हुआ है, पैसे कमाने के लिए तंग करने में लगे हुए हैं। जो असली समस्या है, वो समस्या दुकान खोलने की वजह से नहीं है। समस्या दो हैं; एक सड़क के ऊपर एन्क्रोचमेंट। वो एन्क्रोचमेंट कौन करा रहा है? अभी मैं सदन की सुन रहा था, मनोज जी को भी बड़ी तकलीफ है। हमारे बहुत सारे विधायकों को तकलीफ है। मैंने मीटिंग की थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा। इन्होंने फैला रखा है कि आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पे कब्जा कराते हैं। हमारे इस सदन में बैठे सारे एमएलएज की पहली शिकायत ये है कि सड़कों पे कब्जा हो गया और कब्जा कराना कौन करता है? इस कब्जे को हटाने की पॉवर सिर्फ एमसीडी ओर पुलिस की है। एमसीडी की पॉवर है या पुलिस की

पॉवर है। उन्होंने हटाना है उस कब्जे को और उन्होंने ही करवाना है। मंथली भी लेते हैं, सबको पता है। आज मैं... एलजी साहब के पास मीटिंग होती थी। अब तो खैर, नहीं होती है। मैंने कई बारी कहा, 'सर, इसको हटवाके दिखाओ ना।' एक रोड तो पीछे पड़ जाओ, एक को तो साफ करा दो। तो एक भी रोड आज तक साफ नहीं हो पाई, जिसकी साफ कराई जा सके। क्योंकि एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ। इस सदन के अंदर, एक दुकान जो 10 फुट बाई 10 फुट की दुकान है, उसने सड़क के ऊपर दो सौ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। दो सौ गाड़ियाँ किसलिए? कि सेल–परचेज करता है वो। और धंधा उसका दिल्ली के अंदर कारों के जितने शो–रूम हैं, जितने भी कारों के शो–रूम्स हैं, कार के शो–रूम्स के अंदर 10 गाड़ियाँ होंगी, सड़क पर 100 गाड़ियाँ होंगी, उसने कब्जा कर रखा है सड़क के ऊपर और ऐसे कोई एक गाड़ी खड़ी करके दिखा दो। उसे मंथली देनी पड़ती है। मंथली दे रहे हैं, इसलिए खड़ी हुई है। तो सड़कों के ऊपर कब्जा करा दिया, चार लेन की दो लेन रह गई हैं। मैं कहता हूँ दो लेन की एक लेन रह जाएगी और थोड़े दिन बाद ये होने वाला है, डिमाण्ड आएगी कि सड़क के ऊपर फलाइओवर बना दो, मेरे सामने आ चुकी है। मेरे एक माननीय सदस्य आए थे कि भाई साहब, वहाँ पर एलीवेटेड रोड बनवा दीजिएगा। मैंने कहा, 'सड़क तो 100 फीट चौड़ी है, एलीवेटेड रोड क्या करेगी?' 100 फुट चौड़ी सड़क है। कहते हैं, 'वहाँ तो एक लेन भी नहीं चलती।' अब क्यों नहीं लेन चलती है? क्योंकि सारी सड़क पे कब्जा कर लिया है इन्होंने, तो सड़क के ऊपर दो ही तरह के कब्जे हैं; एक तो बिल्डिंगों को आगे बढ़ा लिया, उससे कब्जा कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी

कब्जा कर लिया, बड़े–बड़े लोग हैं। सर, हो क्या रहा है? गरीबों से कहते हैं, नाम लेते हैं और अमीरों के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने कब्जे कर लिए, उस कब्जे को कोई हटाता नहीं। क्योंकि मंथली देते हैं, दूसरा, सड़कों के ऊपर पार्किंग को बना दिया गया है, जो आपकी कैरिज–वे है जिसके ऊपर बसें चलनी चाहिए, जिसपे कारें चलनी चाहिए, कैरिज–वे पर कब्जा कर लिया, फुटपाथ के ऊपर कब्जा कर लिया। आदमी पैदल कहाँ चलेगा? तो इन सड़कों के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये दो समस्याओं को सॉल्व कर नहीं पा रहे। करना नहीं चाहते। कहते हैं, 'हम बिल्डिंग सील करेंगे।' तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज दिल्ली को सुधारने के लिए नहीं चल रही है, दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए नहीं चल रही है, अगर अच्छा बनाना हो, मैं कहता हूँ कि जितनी भी सड़कें हैं, मैं तो कहता हूँ ओर भी नोटिफाई कर दो। क्या दिक्कत है? जो भी सड़क 60 फुट से ऊपर है, सबको एक जनरल वो एनेक्सी दे दो कि सबको ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें खोलना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या परेशानी आ जाएगी? बस ये होना चाहिए कि दुकान खोल सकते हो, दुकान के सामने चार गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते। अगर लंदन में आप जाते हैं; दुकान खुली हुई है तो पार्किंग वहीं पर होगी जहाँ पर लिखा जाता है पार्किंग की जगह है। ये नहीं है कि जी, पार्किंग भी, अब मंगोलपुरी मार्केट है, 100 फुट चौड़ी सड़क है, उस सड़क में से सिर्फ दो लेन बचती हैं; 10 फुट की इधर, 10 फुट की उधर, बाकी में क्या कर रखा है? सारा पत्थर सड़क पर रख रखा है। अंदर खाली पड़ी है दुकान। 100 फुट लंबी दुकान है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। सारा का सारा माल सड़क पर रख रखा है। तो अगर ये

रखेंगे, इस तरह से कब्जा करेंगे और फिर सील करने की बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आती है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि अध्यादेश लाए, सीलिंग को बंद करे और जो ये बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों के ऊपर कब्जा करने की जो समस्या है, इसको सॉल्व करे।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। टी ब्रेक पाँच बजे दुबारा मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही चाय काल के लिए पाँच बजे तक स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 5:10 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

परिवहन मंत्री का वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः हमारे माननीय मंत्री, श्री कैलाश गहलोत जी मैट्रो के संबंध में वक्तव्य देंगे।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक चीज सदन के बीच में रख रहा हूँ ताकि सभी हमारे जो विधायक हैं और ताकि ये दिल्ली की जनता को भी बता सकें। सभी को मालूम है कि दिल्ली सरकार ने मैट्रो फेज–4 के जितने भी कॉरिडोर्स हैं, उन सभी को अप्रूव किया। दिल्ली की जनता में एक खुशी का माहौल था। जहाँ–जहाँ मैट्रो की लाइन जिस विधानसभा से गुजर रही है, वहाँ से भी सभी विधायक जो है, बड़े उत्साहित हैं। और चूंकि मैट्रो में दिल्ली सरकार

और केन्द्र सरकार का फिफ्टी परसेंट शेयर है दोनों का। तो जितना भी दिल्ली सरकार का शेयर इस पूरे प्रोजेक्ट का बनता है, वो दिल्ली सरकार ने अपनी स्वीकृति दी कि ये जितना भी ये कॉस्ट होगा। उसका फिफ्टी परसेंट दिल्ली सरकार बेयर करेगी और पिछली बार जब सदन में मैंने इस चर्चा में ये बात ही रखी थी कि किस प्रकार से बड़ी एक साजिश के तहत एक बड़ी कांस्प्रेसी के तहत किस प्रकार से जो केन्द्र सरकार के जो अफसर हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिले किया, लगभग एक–डेढ़ साल पहले और पिछली बार ये भी मैंने कहा कि डीएमआरसी मैट्रो के बोर्ड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को 10 दिसम्बर, 2018 को अप्रूव किया और दिल्ली सरकार ने 21 तारीख को मतलब कि मात्र 10 दिन के अंदर जैसा कि माननीय सीएम साहब ने पूरी दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था कि जैसे ही डीएमआरसी बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, हम अगली कैबिनेट में इसको अप्रूव कर देंगे। वो जो आश्वासन दिया था, उसी को पूरा करते हुए लगभग 10 दिन के अंदर कि जो भी नेक्स्ट कैबिनेट हुई, उसमें इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। तमाम जितनी भी अड़चनें थीं, जितने भी ऑब्जेक्शंस थे, उनको ओवररूल करते हुए इन लार्ज, ये पब्लिक इंट्रेस्ट इसको अप्रूव किया गया और अभी इससे पहले सीलिंग के मुद्दों पर अलग–अलग एमएलएज ने बताया कि किस प्रकार से इतने लंबे समय से सीलिंग के इश्यू पर लोग पीड़ित हैं। फिर भी बीजेपी की सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो केन्द्र सरकार है, वो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता से बदला ले रही है और किसी भी एक्सटेंट तक जाने की जो जरूरत पड़े, दिल्ली की जनता को, वो खुश नहीं देखना चाहती है।

एक बड़ी अजीब बात अभी सुनने में और आ रही है। कहीं पेपर में भी पढ़ा मैंने कि बीजेपी अभी फिर दोबारा एक बड़े षडयंत्र की प्लानिंग कर रही है कि दिल्ली सरकार के परमिशन के बावजूद इस मैट्रो फेज–4 को कैसे रोका जाए। मैंने बताया कि फिफ्टी परसेंट दिल्ली सरकार का शेयर है और फिफ्टी परसेंट केन्द्र सरकार का शेयर है। तो उसमें जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉसेज हैं, वो फिफ्टी परसेंट जो है, उसके केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के हिस्से में आने चाहिए। अभी एक बड़ी साजिश के तहत केन्द्र सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है कि इस पूरे काम को रोकने के लिए और ये इसको जो हमें सुनने में आ रहा है कि केन्द्र सरकार इसमें ये अड़चन बिल्कुल लगाएगी कि जो भी ऑपरेटिंग लॉसेज होंगे इस फेस–4 में ये पूरा जो है, दिल्ली सरकार के हिस्से में आना चाहिए। तो मतलब अफसर भी वो लगायेंगे, मैट्रो कहाँ से कहाँ चलेगी, वो भी वो तय करेंगे। मैट्रो में किराये बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, वो भी केन्द्र सरकार तय करेगी। तो स्पीकर सर, मेरे ख्याल से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष जी ने जो कहा कि फिर मैट्रो दिल्ली सरकार को दे दें। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से चलाकर दिखायेंगे। लेकिन जिस प्रकार से केन्द्र सरकार का जो रवैया है, मुझे नहीं लगता कि ये मैट्रो फेस–4 को लागू होने देंगे। क्योंकि एक अड़चन के बाद दूसरी अड़चन... उसको हम पूरी करते हैं तो तीसरी अड़चन और डीएमआरसी खुद लिखकर दे रहा है अपने उसमें कि ऑपरेटिंग लॉसेज का अभी तक कोई इस प्रकार का कोई मुद्दा जो है, वो सामने नहीं आया है। तो फिर इस मुद्दे पर ये केन्द्र सरकार का जो ये रूख है, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, इस प्रकार से जो ये बात कर रहे

हैं, इसका एक ही मतलब हम निकाल सकते हैं कि दिल्ली की जनता से बिल्कुल बदला लेने की तैयारी फिर दोबारा की जा रही है और ये वाकई में एक बहुत एक सेट बैक होगा पूरी दिल्ली के लिए। क्योंकि आज के दिन अगर कोई क्लीन ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई सिस्टम दिल्ली में है और अगर किसी व्यक्ति को प्वाइंट ए टु प्वाइंट बी बिना किसी हिचक के जाना है, बिना ट्रैफिक जाम के जाना है। तो वो मैट्रो है और मैट्रो पर हम सब दिल्लीवासियों को ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हम मैट्रो पर डीएमआरसी पर गर्व करते हैं और हम पूरा सदन और पूरे एमएलएज ये चाहते हैं कि मैट्रो फेस–4 जल्द से जल्द लागू हो। ये सूचना मैंने उचित समझा कि सभी माननीय विधायक जो हैं, उनको पता हो कि बीजेपी किस प्रकार की बड़ी साजिश जो है, वो करने जा रही है। यही मैं कहना चाह रहा था, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब इस संबंध में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस शहर के गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

जैसा अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि फोर्थ फेस का सेंक्शन दिल्ली सरकार ने दे दिया है। मैं तो पहले मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो छः नई लाइन और 103 किलोमीटर लाइन जो बिछने थे, उसका आप सबने सेंक्शन दिया लेकिन साथ में मंत्री जी ने बताया भी कि किस तरह से इस पर राजनीति हो रही है।

मुझे याद है कि कुछ महीने पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद भी हैं। हालाँकि आज तक उन्होंने मसखरे और हंसी मजाक के सिवाय कुछ विशेष काम कभी किया नहीं, न तो उनको जानकारी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार जान–बूझकर फेज–4 के काम को रोक रही है। जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया और सदन को जानकारी दी कि 10 दिसम्बर को बोर्ड से पास हो के आया और 21 दिसम्बर को दिल्ली सरकार ने अपनी सेंक्शन दी तो मुझे लगता है कि जिस प्रगति गति से दिल्ली सरकार ने इस प्रपोजल को, इस मैट्रो फेज–4 को सेंक्शन दिया, वो काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज फिर मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से सांसद भी हैं कि अब कौन रोक रहा है? हालांकि दो दिन पहले मैं मंत्रिमण्डल का प्रेस कान्फ्रेंस देख रहा था और जो बात आपने कहा है, वो किसी पेपर में आया भी है। मैं वो पेपर का कटिंग भी लेकर आया हूँ। मेरे ख्याल से अमर उजाला में छपा है। जो बात आपने कहा, बिल्कुल सत्य है और वो खुद प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए इस बात को साबित भी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, 'भाई, कोई अगर मान लीजिए पार्टनरशिप होता है और जैसा पहले होता भी रहा कि खर्चा भी आधा–आधा, लाभ भी आधा–आधा और नुकसान भी आधा–आधा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नुकसान दिल्ली सरकार वहन करेगी। जब कि कोई पहला फेज तो है नहीं ये। फेज–एक में भी ऐसा हुआ था, फेज–दो में भी ऐसा हुआ था; चाहे वो खर्चे कि बात हो, चाहे नुकसान की बात हो, चाहे लाभ की बात हो, सबमें आधा–आधा खर्चा वहन किया गया था। तो मेरा ये कहना है कि अब इसका मतलब है जान–बूझकर आप अब इस

फेज–4 को आप रोकना चाहते हैं और क्यों रोकना चाहते हैं, सबको पता है। क्योंकि पहले आप दिल्ली सरकार को तोहमत लगा चुके हैं, अब सदन के जरिए दिल्ली की जनता को जानकारी मिल गई कि वास्तव में काम किसने रोका और काम कर कौन रहा है और जब ये काम हो जाएगा तो क्रेडिट दिल्ली सरकार को जाएगी। फायदा जनता को होगा और आपकी जो राजनीति थी, वो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अगेन किसी तरह से फेज–4 का काम न हो पाए, इसलिए तमाम आप इस तरह की घटिया राजनीति आप सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो बेहतर जान रही है कि वास्तव में राजनीति किसके द्वारा हो रहा है और ये कौन कर रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जिस तरह से 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी उसी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता ने सात में से सात सांसद भाजपा के लोगों को दिया था। केन्द्र सरकार को दिया था। उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती थी कि दिल्ली की जनता को किसी तरह से परेशान न होना पड़े। लेकिन मुझे दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के जो भी मुद्दे रहे हों, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, याद होगा जब ये किराया बढ़ाया जा रहा था उस समय में भी दिल्ली में हमारी सरकार, दिल्ली में मैट्रो में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत की है, हमारी दिल्ली सरकार ये कह रहा था कि हम किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कहा गया था कि नुकसान होगा तो हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। उसके बावजूद किराया बढ़ा दिया गया था और एक बार सात के सात सांसद एक बार नहीं बोला कि ये दिल्ली का अगर ये किराया बढ़ता है तो ये बोझ दिल्ली

की जनता को पड़ेगा इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। न तो सड़क पे, न तो संसद में। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हमारी सरकार और हम कह रहे हैं कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए और जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि बढ़ना चाहिए। चाहे सीलिंग का मुद्दा रहा हो। आपको याद होगा कि किस तरह से अभी भी चर्चा हुई, कई सारे साथियों ने बताया किस तरह से सीलिंग का दुष्प्रभाव रहा। लेकिन एक भी भाजपा के सांसद कभी नहीं बोला नहीं सीलिंग से व्यापारियों को परेशानी हो रही है, ये सीलिंग नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के जितने भी मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों से दिल्ली के सातों सांसद दूर हैं और केवल राजनीति कर रहे हैं और उसका नुकसान दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। तीन–चार महीने में जनता ये फैसला आपको सुनाने वाली है और जो राजनीति आप कर रहे हैं, अगर ये ही राजनीति आपकी चलती रही तो इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को शून्य पर पहुँचाया था, अब आपकी बारी है। तो इसीलिए मैं आगाह भी करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना वो बंद करें और ये जो फोर्थ फेज का मैट्रो जो 103 किलोमीटर बिछना है क्योंकि इसमें हमारा भी मुकंदपुर–बुराड़ी–मौजपुर कॉरिडोर आता है जो लगभग 13 किलोमीटर का है और इसी तरह से और जो चार लाइनें; चाहे वो आर.के. आश्रम, जनकपुरी वेस्ट का हो या इन्द्रलोक, दिल्ली गेट, इन्द्रप्रस्थ कोरिडोर हो या लाजपत नगर, साकेत जी ब्लाक हो या एनओपीसी से तुगलकाबाद कोरिडोर हो या रिठाला, बवाना हो। तो मेरा ये कहना है कि आज ये जितने भी

सेंक्शंड हुए हैं, वहाँ की जनता अगर आपने इस तरह की राजनीति की तो आपको माफ नहीं करने वाला।

तो इसीलिए निवेदन भी और चेतावनी भी कि दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का मजाक करना बंद कीजिए और मुझे उम्मीद है कि अपने लिए न सही, हो सकता है कि आपके अपने राजनीति मंशा हो। लेकिन कम से कम दिल्ली में रहने वाले वो तमाम जनता जो जिसने आपको वोट किया था, उसके खातिर आप इसमें अड़ंगा नहीं लगाएँगे, राजनीति नहीं करेंगे और ये फेज–4 मैट्रो पास हो ताकि लोगों को इस तरह के जो अभी परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी से लोगों को मुक्ति मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, अम्बेडकर नगर में 50 साल से ज्यादा एक विधायक रहे। दो बार वो इस सदन के अध्यक्ष रहे। लेकिन अम्बेडकर नगर और उसके आसपास का एरिया मैट्रो से हमेशा वंचित रहा और वहाँ की जनता अक्सर मुझसे पूछती थी कि मैट्रो कम आएगी। डेढ़, पौने दो साल से ये चर्चा चल रही थी कि मैट्रो को दिल्ली सरकार पास कर रही है। लेकिन केन्द्र सरकार उसे पास करने में भी अड़ंगे लगा रही है और पिछले महीने हमारी कैबिनेट ने और माननीय मुख्य मंत्री साहब ने एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन लिया जिसमें मैट्रो के फोर्थ फेज को पास किया गया और अम्बेडकर नगर में से होते हुए जाने वाली तुगलकाबाद, अम्बेडकर नगर

है वो सिटी फोर्थ फेज जो 22.2 किलोमीटर का बहुत बड़ा स्ट्रेच है जिसमें पूरा एमबी रोड कवर होता है, वो बनाने की घोषणा की। उससे मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों ने बहुत सराहा और हमारे मुख्य मंत्री साहब का, कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद किया और मैं भी दिल से मुख्य मंत्री साहब और कैबिनेट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये 50 साल के बाद आज वो मैट्रो देखने को मिलेगी और ये बहुत एतिहासिक है। दिल्ली में सब जगह मैट्रो बनने जा रही है और अध्यक्ष जी, ये कोई लग्जरी फैसिलिटी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही है। ये एक बहुत ही जरूरी यातायात का साधन है जिससे लोगों को सुविधा मिलती है और किसी भी सरकार का ये फर्ज है कि जो भी कार्य लोगों की सुविधा के लिए हो, उसे किया जाए। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें तथ्य निकलकर आया है कि बीजेपी की शासित केन्द्र शासित, केन्द्र में रहने वाली सरकार जो दिल्ली में मैट्रो में 50 परसेंट की भागीदारी रखती है, वो आज ये कह रही है कि जहाँ भी मैट्रो चलेगी अगर उसक फायदा होता है तो वो सारा उनके पास जाएगा और फेज–4 में उनको ये लग रहा है कि किसी वजह से वहाँ घाटा आएगा। तो वो दिल्ली सरकार पे थोपा जाएगा। अगर भागीदारी 50 परसेंट की है तो हम कह रहे हैं जो फायदा है या नुकसान है, वो हम बेयर करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अगर आप मैट्रो नहीं चलाना चाहते या आपकी बस की बात नहीं है तो वो मैट्रो हमें दे दें, दिल्ली सरकार को दे दें। दिल्ली सरकार उसे अच्छे से चलाके दिखाएगी। हम तो उससे आगे एक और बात कह रहे हैं और हम पिछले एक साल से लड़ रहे हैं कि मैट्रो का किराया बढ़ना नहीं चाहिए। ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। ये कोई

लग्जरी सर्विसेज नहीं है जो आप दिल्ली की जनता को दे रहे हो। ये दिल्ली की जनता की डिमाण्ड है। ये दिल्ली की जनता की रोजमर्रा के यातायात का साधन है।

तो हम जब कह रहे हैं कि भई आप इस मैट्रो में अगर 50 परसेंट की भागीदार है तो हमारी एक बात सुनें कि पहले आप उसमें किराया कम करें और दूसरी बात ये भी सुनें कि अगर उसमें कोई लॉसेज होते हैं या प्राफिट होतें हैं तो बराबर की हिस्सेदारी है। तो ये तो बीजेपी सरकार पिछले साढ़े चार साल में दिल्ली में न तो इन्होंने कोई काम किया और न ये करने जा रहे हैं और आज दिल्ली की जनता से ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि साजिश के तहत उनसे एक दुश्मनी निकालना चाहते हैं और दुश्मनी निकाल रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अपना पैसा देके कह रही है कि मैट्रो बनाओ और ये कह रहे हैं कि हम उसे बनाने नहीं देंगे। हम उसे जो लॉसेज होगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी, ये मैट्रो एक दिल्ली की लाइफ लाइन बनने जा रही है और अगर इसे रोकने की साजिश की गयी तो दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। एक बार तो उन्होंने इन्हें दिखा दिया है कि दिल्ली विधान सभाओं में सत्तर में से सड़सठ सीटें आम आदमी पार्टी को दी और अब दिल्ली की सारी की सारी सातों की सातों सीटें एमपी की, जो एमपी बनेंगे वो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की झोली में डालेगी और दिल्ली की जनता इनसे नाराज इस बात से भी है कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो करो और अगर आपके बस की काम करना नहीं है तो कम से कम उसमें अड़ंगा तो मत अटकाओ। आज दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझ रही है और ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, अजय जी। कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अजय दत्तः और अगर हम कह रहे हैं कि भाई अम्बेडकर नगर जैसी जगह पर जहाँ आज तक मैट्रो नहीं आयी है, अगर मैट्रो नहीं बनी तो वहाँ की जनता इन्हें हजारों बार कोसेगी क्योंकि ये दिल्ली और अम्बेडकर नगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बीजेपी और केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोग और मैट्रो को भी ये चेताना चाहता हूँ कि आप मैट्रो में जो केन्द्र में बैठे हुए जो मैट्रो में काम कर रहे हैं, जो आला अधिकारी हैं कि आप जो काम करें देश की, दिल्ली की भलाई के लिए करें न कि उसको गिराने के लिए और इस मैट्रो को पास होनें दें। वहाँ का जितना भी घाटा या नफा है, उसको छोड़के इस मैट्रो का काम शुरू करवायें और दिल्ली को राहत दें, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं एक ज्वलन्त मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दो मिनट के अन्दर। उससे पहले तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का, माननीय श्री कैलाश गहलौत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि फोर्थ फेज के लिए एक अच्छा कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसकी तारीफ पूरी दिल्ली में सभी में हो रही है।

भाई अजय दत्त जी कह रहे थे... लेकिन सर, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है और हम लोगों का काम दिल्ली की जनता के दिलों में हैं। 2019 के चुनाव होंगे तो परिणाम आपके समक्ष होगा लेकिन जो मैं आज मुद्दा रखने जा रहा हूँ सर, मैं माननीय कैलाश गहलौत जी से आग्रह करूँगा कि... मेरी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। मैट्रो का फोर्थ फेज आपने सर, करा दिया लेकिन ट्रांस यमुना जो हमारा ईस्ट दिल्ली है। मैं चाहूँगा सर, उस पर गौर कीजिए।

शास्त्री पार्क से हमारा मैट्रो स्टेशन है। अगर शास्त्री पार्क से और अक्षर धाम मन्दिर तक, मयूर विहार तक अगर यहाँ पर एक मैट्रो लाइन नई फेज में शुरू कर दी जाए तो इससे मेरी विधान सभा गाँधी नगर क्योंकि व्यापारियों की है, उसको सबसे बड़ा फायदा होगा। मेरे जस्ट बगल में माननीय बग्गा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके कृष्णा नगर विधान सभा का बहुत बड़ा फायदा लोगों को होगा। उसके थोड़ा सा अगर आगे जाएँगे तो हमारे जुझारू साथी नितिन त्यागी जी बैठे हैं, इनकी विधान सभा लक्ष्मी नगर को फायदा होगा। उससे सर, थोड़ा और आगे जाएँगे तो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनके क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा और राजू धिंगान जी हमारे हैं, वो भी आज आये नहीं हैं, उनकी विधान सभा और उसके बाद थोड़ा हिस्सा इनके यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। तो मैं सर, ये रिक्वेस्ट करूँगा माननीय गहलौत साहब से कि इस पर बहुत विचार मतलब गम्भीरता से विचार करके कम से कम ये हम लोगों को आप दें दें। मैं अपने लिए नहीं माँग रहा हूँ। मेरे साथ–साथ पाँच विधान सभाओं के सदस्य हैं और माननीय हमारे उप

मुख्य मंत्री जी बड़े दयालु हैं और शिक्षा में बहुत कुछ दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत कुछ देंगे और गहलौत साहब आप भी बड़े दयालु हैं। तो मैं कहूँगा, थोड़ी कृपा जो है, वो हम सारे विधायकों को दें दें और मैं उम्मीद करता हूँ और अगर इनकेस दूसरा ऑप्शन भी है सर, जो नितिन भाई से बात हो रही थी। चाँदनी चौक का सर, आपने ट्राम चलाने का बहुत अच्छा एक हम लोगों ने अखबारों में सब जगह पढ़ा है। अगर क्योंकि मैं सर बताना चाहता हूँ कि 2008 में...

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, कन्क्लूड करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, 2008 में कांग्रेस की सरकार ने गाँधी नगर, कृष्णा नगर और लक्ष्मी नगर के लोगों को ये कहा कि हम आपको मोनो रेल दे देंगे। नवभारत टाइम्स के पहले पेज की कटिंग थी और 2008 का चुनाव दो–तीन विधान सभा में लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत लिया गया। फतेह सिंह जी बैठे हैं। इन्होंने भी पढ़ा होगा अखबार में। सर, आपने भी पढ़ा होगा लेकिन हम वो काम नहीं चाहते कि लोगों को... वोट की राजनीति हम करें। इतना मेरा आपसे अनुरोध है... हाथ जोड़ के ये है कि आप जो है, इसको करा दीजिए।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, लाखों लोग आपके स्वागत के लिए और दिल्ली सरकार के लिए तैयार रहेंगे। ये मैं माँग करता हूँ आपसे।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। आदर्श जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सबसे पहले दिल्ली सरकार को, मुख्य मंत्री जी को, कैलाश जी को सबको बधाई कि फेज–4 मैट्रो की स्वीकृति दिल्ली सरकार से मिली और इससे ये लगभग 103 किलोमीटर की लाईन है। अलग–अलग लाइन है। इसके माध्यम से दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र जो मैट्रो से नहीं जुड़े थे, वो जुड़ जाएँगे और अध्यक्ष जी, अर्थशास्त्र ये बताता है कि जहाँ–जहाँ लोगों को आबादी के क्षेत्रों में अगर जोड़ा जाता है किसी भी मैट्रो सिस्टम से तो पूरे एक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बदलती है, डेवलपमेन्ट बदलती है। इकनॉमिक प्रॉसपैरिटी उन सब इलाकों में बढ़ती है क्योंकि जो इकनॉमिक मोबिलिटी होती है, जो यातायात होता है, उसके माध्यम से वहाँ पर चाहे वो कोई पढ़ने–लिखने वाले बच्चा हो, कोई नौकरी करता हो, कोई ड्यूटी पर जाता हो, कोई फैक्टरी जाता हो, इस तरह की कई सारी सहूलियतें मैट्रो के माध्यम से मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, उन सब इलाकों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत बड़ी देन है।

हाल ही में अध्यक्ष, जी मैं पढ़ रहा था कि केपीएम की एक बड़ी नामी कन्सलटेन्सी कम्पनी है विश्व की, यूनाइटेड नेशन्स के कहने पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसमें उन्होंने सौ सबसे बड़े इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रोजेक्टस की विश्व में उनकी एक लिस्ट तैयार करने को दी और ये बोला कि इस लिस्ट को ऐसे तैयार किया जाए कि सबसे ज्यादा बदलाव कौन से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए हैं। उसकी लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें केपीएमजी की

रिपोर्ट में 52वें, फिफ्टी सेकेण्ड नम्बर पर दिल्ली मैट्रो को रखा गया। ये बात दर्शाती है कि किस तरह से दिल्ली मैट्रो ने दिल्ली वालों की जिन्दगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाये। 330 किलोमीटर की मेट्रो, 236 स्टेशन तीनों फेज मिलाकर चल रहे हैं और ये बढ़ रहा है और फेज–4 कम्प्लीट होने के बाद 2023–24 तक जो अनुमानित है, विश्व की पाँच सबसे बड़ी मैट्रो नेटवर्कस में दिल्ली मैट्रो हो जाएगी और गिनती इसकी लन्दन की मेट्रो, पेरिस की मेट्रो, न्यूयार्क की मैट्रो के साथ होने लगेगी, ये सब इस बात को दर्शाता है। अध्यक्ष जी, दुःख इस बात का होता है कि जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से फेज–4 को बड़ी कठिनाइयों के बाद क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है और दिल्ली सरकार में किस तरह से अफसरशाही है और बड़ी कठिनाइयों के बाद भी दिल्ली सरकार में हमारे मंत्री कैलाश गहलौत जी ने, मुख्य मंत्री जी ने, उप मुख्य मंत्री जी किस तरह से फेज–4 को पास करवाया और फेज–4 को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सातों सांसद जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना है, वो पूरी तरह से मौन हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अन्धे हैं। उनको दिल्ली की इतनी बड़ी राहत दिखाई नहीं देती। ये साफ नजर आता है। क्योंकि बार–बार दिल्ली मैट्रो को रोकने का, फेज–4 को आगे न बढ़ने की जो अलग–अलग षडयंत्र मैं कहूँगा, बनाया जा रहा है कि ये उन्हीं के माध्यम से रचा जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। बात बड़ी साधारण सी है। जब फेज–1, 2, 3 की हम बात करें जो एक बिजनस मॉडल तैयार किया गया प्रोफिट का, लॉस का, ऑपरेशनल खर्चों का, उसी मॉडल को बदलने की अचानक

ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसी मॉडल को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने पढ़ा हरदीप पुरी जी ने बयान दिया कि दिल्ली सरकार के साथ अगर हम ये 50–50 परसेंट पार्टनरशिप करेंगे लॉस में, तो अन्य राज्यों मे भी समस्या आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में... पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कहीं पर मैट्रो अभी छः किलोमीटर की है। कहीं मैट्रो 10 किलोमीटर की है। कहीं मैट्रो का अभी पहला चरण भी शुरू नहीं हुआ है। उन सबकी मनगढ़ंत बातों को लेकर दिल्ली मैट्रो जो कि 350 किलोमीटर का नेटवर्क है, उसके साथ तुलना कैसे कर सकते हैं?

दूसरी बात, इससे ये भी जो बात एकदम साफ समझ आ रही है कि किस तरह से दिल्ली मैट्रो मे जो टिकट की प्राइस है, जो फेयर है, उसको बढ़ाने की ताकत दिल्ली सरकार के पास नहीं है। उसको घटाने की ताकत दिल्ली सरकार के पास नहीं है। हम सब देख चुके हैं। पूरी तरह से मनगढ़ंत रूप से केन्द्र सरकार इसका संचालन करती है और किस तरह से ये सदन भी इसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। किस तरह से किराये जो बढ़ाये गये, उसका नतीजा आज ये है कि फेज–3 पूरा होने के बाद भी लगभग 27–28 लाख यात्री हैं, जो मैट्रो में डेली सफर करते हैं। उससे ज्यादा वो नंबर बढ़ नहीं पा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से एक वन साइडेड व्यू केन्द्र सरकार लेकर चल रही है जिसकी वजह से आज मैट्रो का लाभ हर जगह तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अध्यक्ष जी, इस सबके बावजूद भी जिस तरह से मैट्रो पर काम चल रहा है, उसका नतीजा यह हुआ कि आज जब हम फेज–4 की बात कर रहे हैं तो ये नया एक अड़ंगा लेकर आ गए कि 100 परसेंट ऑपरेशनल

लॉस दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार लगभग इसमें 10 हजार करोड़ रुपये की लागत लगा रही है फेज–4 में। अगर 100 परसेंट लॉस दिल्ली सरकार उठाती है जो केन्द्र सरकार का कहना है उस हिसाब से 10 हजार करोड़ केन्द्र सरकार को देना है, 10 हजार करोड़ दिल्ली सरकार को देना है। जब इनवेस्टमेंट बराबर की है तो लॉस भी बराबर का होना चाहिए। लॉस अगर बराबर का है तो उसके बाद मैट्रो किस तरह से चले, किस तरह से क्रियान्वित हो, किस तरह से उसके अलग–अलग डिजाइन हो, जैसे अभी बाजपेयी साहब ने जिक्र किया। बाजपेयी साहब ने कहा कि एक और लाइन होनी चाहिए। मुझे तो आज ये बड़ा दुःख होता है कहते हुए कि हो सकता है कि ऐसी जरूरत हो, उसके बाद भी दिल्ली सरकार मैट्रो की कोई नई लाइन नहीं डिसाइड कर पाई क्योंकि उसमें भी केन्द्र सरकार कोई अड़ंगा लगा दे। केन्द्र सरकार कहे कि नहीं, ट्रांस यमुना के क्षेत्र के लोगों को हम ये सहूलियत नहीं देना चाहते। तो इस तरह की समस्या आज हम लोगों के सामने है। आज सच्चाई ये है कि ये जो रेवेन्यू मॉडल है, इस रेवेन्यू मॉडल को अगर हम देखें तो इस रेवेन्यू मॉडल में कहीं पर भी दिल्ली सरकार का कुछ भी नहीं माना जा रहा है। कुछ भी उसमें स्टेक दिल्ली सरकार का नहीं है। किराये कैसे होने चाहिए, उस पर कोई स्टेक नहीं है। किस तरह से मैट्रो चलानी चाहिए, उस पर कोई स्टेक नहीं है। पाँच डायरेक्टर दिल्ली मैट्रो में दिल्ली सरकार के हैं, पाँच डायरेक्टर केन्द्र सरकार के हैं और सात डायरेक्टर इंडीपेंडेंट हैं। 17 कुल डायरेक्टर हैं। पाँच डायरेक्टर दिल्ली सरकार के होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार का कोई भी आदेश, दिल्ली सरकार की कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सुझाव

आज मैट्रो पर लागू नहीं हो सकता। ये आज दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा... मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है।

साथ में ये इस तरह का मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार की दिल्ली के सातों सांसदों की भारतीय जनता पार्टी के एक ये मौका परस्ती की, दोगलेपन की जो राजनीति है, वो भी अब दिल्ली की जनता के सामने है। दिल्ली की जनता भी देख चुकी है, समझ चुकी है कि किस तरह से ये दिल्ली के सातों सांसद और केन्द्र सरकार दिल्ली के लोगों को वंचित रखना चाहती है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसका संज्ञान इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता तक जाए, इसके बारे में केन्द्र सरकार दोबारा विचार करे और ये तय करे कि दिल्ली मैट्रो को सही मायने में अगर मजबूत बनाना है, क्षेत्र के, दिल्ली की जनता के लोगों के लिए उनके सही में जीवनयापन में बड़ा बदलाव लाना है तो वो केन्द्र सरकार दिल्ली मैट्रो पूरी तरह से दिल्ली सरकार को दे दे और दिल्ली सरकार उसको स्वतंत्र होकर चलाए और जिस तरह से सही मायने में सहभागिता के साथ दिल्ली की जनता के साथ वो फायदा हो सके जो मैट्रो जिसके लिए बनाई गई थी। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, गाँव की बात है। दो भाई थे। उनके पिताजी उनके लिए एक भैंस छोड़कर गए। उनके बीच बंटवारा कुछ इस तरह से किया कि तेज चतुर भाई ने कि 'आगे से आधी तेरी

और पीछे से आधी मेरी।' तो खाना खिलाने का जिम्मेदार तो एक भाई के पास आया और दूध दोहने का दूसरे के पास आया। दिल्ली में दिल्ली की जनता और भाजपा सरकार के बीच एक युद्ध चल रहा है और जो भाजपा की केन्द्र सरकार है, उसने दिल्ली की जनता को सजा देने की, उसको मिटाने की ठान रखी है। अभी तक दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी जो कि भाजपा जवाबदेही के कंट्रोल में है, उसमें कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं है। दिल्ली की जनता के प्रति नहीं है। उसी तर्ज पर दिल्ली मैट्रो को ले जाने की तैयारी है जिसमें कि कहा यह जा रहा है, अब जब दिल्ली मैट्रो दिल्ली के देहात दिल्ली की परिधि में रहने वाले सारे लोग, दिल्ली की गरीब जनता की जीवन रेखा बन चुकी है तब उसको कुचलने की, उसको नष्ट करने की तैयारी है।

माननीय महोदय, भारत का संविधान कहता है कि भारत के राज्य और दिल्ली की जो जनता है, वो कोई दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है। माननीय महोदय, ये फैडरलिज्म जो इंडियन कॉस्टिट्यूशन का कोर वैल्यू जिसके अंदर फिस्कल फैडरलिज्म भी आता है, उसमें पैसे का रख–रखाव और उसका प्रबंधन भी आता है। हमने आज फोर्थ कमिशन पर प्रस्ताव पारित किया है। फिफ्थ कमिशन पर प्रस्ताव पारित किया है। उसी से जुड़ी बात है कि मैट्रो का प्रबंधन जो होगा, वो दिल्ली की जनता के हक को, उसके हित को ध्यान में रखकर होगा और उसके हितों का प्रतिनिधित्व दिल्ली की विधान सभा करती है। दिल्ली की विधान सभा की अनदेखी करके उसके स्वर को दबाकर दिल्ली की मैट्रो का, दिल्ली की जनता का भला नहीं हो सकता।

माननीय महोदय, बहुत संक्षेप में बात कहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ और दिल्ली के सभी मैट्रो के शहरों की जनता को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक दल है; 'आम आदमी पार्टी।' उसका एक मुखिया है; अरविंद केजरीवाल जी। उनका नेतृत्व है कि वो दिल्ली की जनता के टैक्स के एक–एक पैसे को पूरी ईमानदारी से खर्च करना चाहते हैं, चाहे वो सवा लाख करोड़ का इनकम टैक्स जा रहा हो। कोई ये केन्द्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट का कोई अहसान नहीं है कि वो 50 परसेंट अब दान कर रही है। वो भी दिल्ली की जनता का ही पैसा है। वो सवा लाख करोड़ दिल्ली की जनता का इनकम टैक्स का दिया हुआ पैसा है जो कि मैट्रो का आ रहा है, बाकी पैसा दिल्ली की विधान सभा को पारित करना है।

माननीय महोदय, अब जब बात चौथे फेज में दिल्ली देहात की आई है। यमुनापार की जनता की आई है। किनारे पर रहने वाली जिन्होंने 20 साल में दिल्ली को हरा–भरा बनाया है, उसकी बात आई है तो एक नया फ्रैक्चर लगाया गया है। कहा ये गया है कि किराया बढ़ाने का अधिकार रखना चाहती है बीजेपी की केन्द्र सरकार। उसके डॉयरेक्टर अपने हाथ में अपने अधिकारी लगाने का और वो अधिकारी क्या खर्चा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये अधिकार रखना चाहती है बीजेपी अपने हाथ में। और उसके खर्चे का बंटवारा जो होगा, वो दिल्ली की विधान सभा करेगी। खर्चे का बंटवारा हो लेकिन उनके किराया तय करने का अधिकार उनका, किराया बढ़ाना अधिकार उनका।

माननीय महोदय, आपकी जब डिबेट चल रही है मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं; दिल्ली की जनता कराह रही है कि क्यों ये किराया दिल्ली की जनता से बढ़ाकर वसूला जा रहा है? एक–एक पैसा अगर मैट्रो में लगा है वो दिल्ली की जनता की खून पसीने की, टैक्स की, ईमानदारी की कमाई है; चाहे वो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आया हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से आया हो। वो दिल्ली की जनता की ईमानदारी की कमाई है। मैट्रो जो है, वो पैसा कमाने का धंधा नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण को जीने लायक बनाये रखने की एक अनिवार्य शर्त है। दिल्ली की जनता सड़कों पर दमे का शिकार न बने, इसके लिए मैट्रो आवश्यक है। वो दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। उनको 60 वर्ष में अगर मरने नहीं देना है, उनको पूरी जिंदगी देनी है, दिल्ली की मैट्रो उसके लिए जरूरी है। इसलिए दिल्ली की मैट्रो का जो प्रबंधन होगा, माननीय महोदय, आपके माध्यम से कहना है, दिल्ली की जनता से कहना है कि बीजेपी की सरकार, ये जो सेन्ट्रल की गवर्नमेंट इस समय बैठी है, वो दिल्ली की जनता के हितों को, दिल्ली की जनता के सपनों को, उनके भविष्य को, दिल्ली के बुजुर्गों और बच्चों और महिलाओं और देहात के रहने वाले और यमुनापार में रहने वाले और सारी झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को कुचलने का साजिश बंद करे। जो एक न्याय का सिद्धांत है, जो संघवाद का सिद्धांत है जो कि भारत की संविधान की बुनियाद है, वो ये कहती है कि भारत के जो राज्य हैं, और दिल्ली उस लिहाज से दिल्ली की विधान सभा कोई दूसरे दर्जे की विधान सभा नहीं है। माननीय महोदय, संघवाद के उसूलों को मानते हुए, संविधान के मूल्यों को मानते हुए वित्तीय संघवाद के मूलभूत

मूल्यों को मानते हुए दिल्ली विधान सभा इस प्रस्ताव को पुरजोर से आगे बढ़ाना चाहेगी। उस पर एक गरिमा के साथ में, उसके एक सदस्य होने के नाते दिल्ली की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहेंगे कि दिल्ली मैट्रो से ईमानदारी से शुरूआत करते हुए डीडीए, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पूरा ये वित्तीय प्रबंधन जो हमने चौथे और पाँचवे वित्त आयोग के संदर्भ में चर्चित किया है, उसमें ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह बने।

दिल्ली की जनता के साथ न्याय हो, नहीं तो जो दिल्ली की जनता के सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा, उनके हितों को कुचलने की कोशिश करेगा... जब जनता की मार पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं निकलती, ये बात हर किसी राजनैतिक व्यक्ति के कानों में दर्ज हो जाए कि दिल्ली की जनता न्याय चाहती। मैट्रो के मामले में न्याय चाहती है, दिल्ली पुलिस के मामले में न्याय चाहती है, एमसीडी के मामले में न्याय चाहती है, डीडीए के मामले में न्याय चाहती है। जय हिन्द। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। धन्यवाद। सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज जो देखने का मौका मिल रहा है। मैं आपको और सदन को कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा। जन लोकपाल बिल की जब हम माँग कर रहे थे, उस वक्त की पार्टियों ने कहा कि आपको जन लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ लो और अपने आप पास कर लेना, विधान सभा,

में लोक सभा में आ करके। उनको मजाक लगा। लेकिन हमने कर दिखाया। अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में पार्टी बनी, पार्टी लड़ी 28 सीटें आईं, फिर 67 सीटें आईं।

आज फिर उन्होंने उस स्थिति को दोबारा होते देखा। पहले इन्होंने चैलेंज किया, ''फेज–फोर पास करके दिखाओ, पास करके दिखाओ।'' इन्होंने इतना चैलेंज किया कि मनोज तिवारी जी ने एक शर्त भी रख दी कि अगर आप पास कर दोगे तो हम एक लाख रुपये का चैक आपको डोनेशन में देंगे। वो अलग बात है कि आज वो अपने प्रॉमिस से बैक आउट कर गए हैं। लेकिन फेज–फोर पास हो गया। अब जब फेज–फोर पास हो करके इम्पलीमेंट होने लगा है फिर तो उनको पेट में दर्द होने लगा है।

अध्यक्ष महोदय, जो अनक्न्वेन्शनल ऐप्रोच आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में करके दिखाया है और उसके कारण जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ हैं, जिस तरह से इनको पेट में दर्द हो रहा है कि भई ये तो सब कुछ पूरा कर दिया और ऐसे उदाहरण पेश कर दिये जिससे कि बाकी सरकारें आज चिन्तित हैं। अब इनको लग रहा है कि ट्रासंपोर्ट के अंदर भी ऐतिहासिक काम कर देंगे और दिल्ली के गली नुक्कड़ हर कालोनी, हर ब्लॉक जुड़ जाएगा, मैट्रो के माध्यम से तो इतिहास रचा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी बात से ये प्रताड़ित हैं। इससे चिन्तित हैं और आम आदमी की जो एक बहुत मूलभूत जरूरत है। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट जो कि एक्सपीडिशिएस तरीके से उनको कहीं से कहीं पहुँचा दे और जो मैट्रो इस तरह से उभर कर आया है तो फेज–फोर में अडंगा लगाने की जरूरत

इसलिए उनको आन पड़ी है कि फेज–फोर पूरा होते के साथ में दिल्ली का करीब–करीब हर कॉर्नर जुड़ जाएगा मैट्रो नेटवर्क से।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि और ये भी बडा हास्यास्पद है कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि भई इन्वेस्टमेंट आधा... प्रोफिट आधा लेकिन लॉस जब होगा तो सिर्फ होगा दिल्ली सरकार का। भई दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल साहब को नेतृत्व दिया है दिल्ली का और जो बिजनेस सेंस केजरीवाल साहब ने आज तक दिखाया है। मुझे लगता है कि वो बेवकूफ हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि जिस इंसान ने दिल्ली के बजट को 29 हजार करोड़ से उठाकर के 53 हजार करोड़ रुपये कर दिया हो। उससे आप ये आशा कर रहे हो कि दिल्ली का मैट्रो का लॉस दिल्ली सरकार उठा लेगी। बिजनेस सेंस जो केजरीवाल साहब ने जो गवर्नेंस में दिखाया है, जो पूरे भारत के अंदर एक इतिहास बनकर उभरा है, उस लहजे में तो लगता है कि इस तरह के प्रपोजल देकर के ये कहना चाहते हैं कि भई फेज– फोर हम नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनएग्युरेशन में केजरीवाल साहब को नहीं बुलाएंगे। जिस केजरीवाल साहब की सरकार के ऊपर ये डालना चाह रहे हैं कि लॉसेज आपका, उसी केजरीवाल साहब को मैट्रो के इनऐग्युरेशन इवेंट में नहीं बुलाएंगे। तो ये कहाँ है? क्या आम आदमी की पार्टी की राजनीतिक यात्रा में ऐसे–ऐसे उदाहरण आए हैं सामने, जो न तो लॉजिकल हैं, न रैशनल है, न समझ में आता है, न मैथमैटिकल कहते हैं इसको। तो मैथमैटिकली भी ये गलत है, रेशनली भी ये गलत है अध्यक्ष महोदय। और ये फेज–फोर के माध्यम से जो पूरी दिल्ली को जोड़ने का काम किया है, मुझे लगता है कि आम

आदमी की सारी जरूरतें, शिक्षा पूरी हो गई, स्वास्थ्य पूरी हो गई, बिजली पूरी हो गई, पानी पूरी हो गई। अब ये जब ट्रांसपोर्ट भी पूरा हो जाएगा तो एक आम आदमी की जिंदगी में जितनी जरूरत पड़ती है, ये पूरी हो जाएगी। अब जो रिपोर्टें वैसे भी आ रही है, कई जनों ने इस पर सर्वे भी कर लिया है कि भई किस को वोट देगा दिल्लीवाला। तो सबने कहा कि भई इस बार तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। सीलिंग का मामला हो या मैट्रो का मामला हो, जिस तरह से उन्होंने अड़ंगा अटकाया है, दिल्ली वालों की जिंदगी को तबाह किया है। सातों सांसदों ने जैसा कि मेरे साथी संजीव ने कहा, 'सातों सांसदों ने एक भी बार सदन के अंदर कोई मुद्दा ना उठाया।' तो दिल्ली वासी तैयार हैं इस बार और उसी तैयारी के कारण इनको लग रहा है कि अगर फेज–फोर ॲलाउ कर दिया और फेज–फोर के कारण ये अचीवमेंट दिल्ली वासियों को मिल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो बड़ी मुसीबतें हैं, एन्वायरनमेंट जो आज पॉल्यूटेड है, जो कन्जेशन... इन दोनों मुसीबतों का समाधान एक इफैक्टिव और अफोर्डेबल मैट्रो है। अगर ये बन जाए और उस पर भाजपा जो अड़ंगा लगा रही है, न लगाए तो दिल्ली वासियों को बहुत फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज ट्रैफिक में से चारों तरफ मेरी अपनी कॉन्सीट्टयुएंसी के अंदर कई रोडस हमने वन–वे बनवाने की... लेकिन ट्रैफिक पुलिस साथ न देती। तो उस लिहाज में अध्यक्ष महोदय, मैट्रो ही एक एक मात्र समाधान है कि दिल्ली कन्जेशन फ्री हो, दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो और उसके लिए

जरूरी है कि फेज–फोर में ये जो इल्लीगल और जो इर्‌ररेशनल क्लॉज लगा दिया है, उसको हटाया जाए।

मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूँ और धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को कि ये जो फेज–फोर पास किया है, आपने भाजपा के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है। ये जो जन लोकपाल बिल हमने पास करके दिखाया है यहाँ से... वो अलग बात है मोदी जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। वैसे ही फेज–फोर पास कर दिया है। इस क्लॉज के गिरते के साथ ही फेज–फोर की मैट्रो दिल्ली में बनेगी और दिल्ली वासियों को एक अफोर्डेबल मैट्रो मिलेगी जिससे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री मदनलाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और ऑनरेबल मिनिस्टर कैलाश जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए काफी अड़ंगों के बावजूद जो मैट्रो रेल का काम इतना रुका रहा, उसको 21 दिसम्बर को पास कर दिया। इस पास करने का मतलब है कि दिल्ली के लोगों को जो आज के दिन ट्रैफिक की समस्या से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है, उससे निजात मिलेगी। 'अवर्स इज अ वेल्फेयर स्टेट। दिस स्टेट हैज टु बी वेल्फेयर। जिस समय मैट्रो का जन्म हुआ, उस समय दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी। डीटीसी के पास पुरानी खचड़ा बसें

थी। रेड लाइन बसेज का प्रकोप था। बहुत ज्यादा लोग उनसे एक्सीडेंट में मर भी रहे थे, घायल भी हो रहे थे। ऐसे टाइम पर जब मैट्रो का दिल्ली में आगमन हुआ, तो हालांकि उस समय भी रेल का किराया मैट्रो का, बस के मुकाबले ज्यादा था। पर लोगों ने उस नए सिस्टम को अडॉप्ट किया और वो गरीब लोगों की और मिडिल क्लास के लोगों की एक अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधाजनक साधन बन गई। ये लगातार चलता रहा और लोगों की जरूरतों को देखते हुए मैट्रो में अभूतपूर्व बदलाव आए।

हालांकि मिसमैनेजमेंट की वजह से, डिस्ऑर्गेनाइज होने की वजह से मैट्रो हमेशा घाटे में चलती रही और आज के दिन मैट्रो पर लगभग 20 हजार करोड़ से ज्यादा तो जापान का कर्ज है। पीछे जो गलत तरीके से इन्होंने प्लान किया, उसकी वजह से कोर्ट में अभी हाल में तीन हजार करोड़ रुपये का मैट्रो पर जुर्माना लगाकर रिलांएस को देने की बात की। रिलाएंस ने जो मैट्रो... हालाँकि रिलाएंस को अभी पैसा नहीं देना है, कोर्ट में बात है, परन्तु आफ्टर ऑल वो भी एक देनदारी है और उसकी वजह से भी मैट्रो पर एक बोझ है। मैट्रो का जो खर्चा है, वो भी बेतहाशा बढ़ा है। एक सौ पाँच परसेंट उर्जा में बढोत्तरी हुई है। ये खर्चे हैं। 139 परसेंट बढोत्तरी हुई है तनख्वाह में और 213 परसेंट मैट्रो बढोत्तरी हुई मरम्मत के काम में।

जब हम वर्ल्ड क्लास मैट्रो की बात करते हैं और आज हम ये समझते हैं कि जापान के सहयोग से बनने वाली दिल्ली मैट्रो वर्ल्ड क्लास की सबसे बेस्ट मैट्रो में से एक है तब 213 परसेंट अगर मरम्मत पर खर्च हो रहा है तो ये हमें लगता है, ज्यादा है। इसका मतलब डीएमआरसी इस समय मिसमैनेजमेंट और डिस्ऑगनाइज तरीके से इस प्रोजेक्ट को चला रही है

और खामियाजा कौन भुगते? जब भी बात आती है कि मैट्रो रेल का आधा–आधा दोनों भुगतेंगे, तब तक तो बात सही लगती है। पर अगर वो कहे कि अगर कोई घाटा हुआ, वो पूरा दिल्ली सरकार भुगतेगी तो ये एक अलग अजीब तरह की बात लगती है क्योंकि मैट्रो को दिल्ली सरकार नहीं चला रही। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैट्रो को चलाने के लिए बार बार सीएम साहब कह रहे हैं कि अगर ये मैट्रो आपसे नहीं चल रही है तो इसे हमें दे दो, हम चला लेते हैं, आपसे खर्चा नहीं माँगेंगे। वो नहीं हो रहा है। मैट्रो को जितना चलाने के लिए सरकार जोर मार रही है, उतना ही सेंटर किसी न किसी बहाने से उसको इग्नोर कर रही है। और आज के दिन अगर हम राइडर्स को देखें, दिल्ली में मैट्रो को, कभी कभी सफर करने का मुझे सौभाग्य मिलता है; विधान सभा के बिल्कुल सामने उतरती है तो मैं देखता हूँ कि जो पहले जिन लोगों के लिए मैट्रो का जन्म दिया गया था, जिन लोगों के लिए मैट्रो थी, वो तो नदारद हैं, क्योंकि किराया इतना बेतहाशा बढ़ा है, वो बेतहाशा किराया बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, डिसऑर्गनाइज तरीके से हो रही है, खर्चे बढ़ाए गए हैं; चाहे वो उर्जा में 105 परसेंट हो, सेलेरी में 139 परसेंट हो या मरम्मत में 213 परसेंट हो, ये बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरियाँ हैं। हमारी सरकार में पिछले चार साल में बिजली का एक पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि घटाया है। तब उर्जा में 105 परसेंट की बढ़ोतरी, ये खतरनाक लगती है। जो सेलेरी है हमारी जो लेबर की सेलेरी है, वो गवर्नमेंट ने अभी अभी की है, मिनिमम वेजिज एक्ट, तब उसमें 139 परसेंट की बढ़ोत्तरी अचरज भरी लगती है। गवर्नमेंट बार बार कहती रही है कि अगर ये मैट्रो हमारे को मिलेगी तो हम इसको घाटे में चलाना बंद

कर देंगे। ऐसे टाइम में जब दिल्ली सरकार हेल्थ पर अपना सबसे बड़ा बजट खर्च कर रही है, एजुकेशन में बहुत बड़ा बजट कर रही है और उसकी वजह से दिल्ली में हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो लेबर का सेक्टर हो, चाहे कुछ और विकास की और लोगों के भले के काम की हो, उसकी चर्चा सारी दुनिया में है और उसको रोकने का षडयंत्र क्या है कि आप मैट्रो का वजन भी दिल्ली सरकार पे डाल दो जिससे दिल्ली सरकार का जो बजट है, जो खर्च करने की उनकी पॉवर है, वो और कम हो जाए। हमको ये नहीं भूलना कि दिल्ली में एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आज के दिन कलेक्शन होती है और दिल्ली को देते कितना हैं, मात्र तीन सौ, सवा तीन सो करोड़। तो एक तो सौतेला व्यवहार वहाँ है और दूसरा जब हरदीप पुरी जी कहते हैं कि हम दिल्ली को मुनाफे की बात इसलिए कर रहे हैं, घाटा देने की बात कि अगर हमने ये बराबरी की बात की तो हम को और स्टेटों में ऐसा करना पड़ेगा। वो ये बात करते हुए भूल गए कि हिन्दुस्तान में जो 29 राज्य हैं, उन राज्यों में पूरी इनकम उन राज्यों के पास होती है और जो प्रॉफिट शेयरिंग है, वो 50 परसेंट है। दिल्ली का स्टेटस अलग तरह का है। तो ये दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार न केवल सरकार को दुःखी करने के लिए, बल्कि इसके सारे विकास के कार्यों को रोकने के लिए भी है। क्योंकि अगर दिल्ली को मैट्रो का घाटा आधा बेयर करना पड़ा, आधा देना पड़ा, तो हम जो विकास के कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, गरीब लोगों के, महिलाओं के जो और जो लेबर क्लास है, उसके वेल्फेयर के लिए कर रहे हैं, उसमें हमको अपना बजट काटना पड़ेगा क्योंकि वो हमें दे नहीं रहे हैं।

एक तरफ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल विल की वजह से यही सेंटर सरकार स्पेशल पैकेज देती है कई राज्यों को, और उलटे दिल्ली की सरकार से छीन लेना चाहती है जो एक षडयंत्र है। मैं सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ सरकार कभी न इस बात पे झुके। उनको कहना चाहिए कि 50 परसेंट जरूर आप हम से लो, पर अगर डीएमआरसी का कोई भी कर्ज नहीं चुका पाने की हिम्मत नहीं है उनकी या वे नहीं चुका पा रहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाएगी। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए और हम फिर एक बार पुरजोर माँग करते हैं कि दिल्ली मैट्रो को दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए जिससे उसको हम चलाएँ। और हम चला के दिखाने को सक्षम हैं कि हम उसके घाटे को खत्म कर देंगे।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय मंत्री, श्री कैलाश गहलोत जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): स्पीकर सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सभी एमएलएज़ ने कहा। 50 परसेंट शेयर जो दिल्ली सरकार का है, 50 परसेंट शेयर जो केन्द्र सरकार का है, डीएमआरसी, दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन पिछले फेज–1, फेज–2 में यही इसी प्रकार से जिस प्रोपोर्शन में शेयर होल्डिंग है, उसी प्रोपोर्शन में, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, उसी प्रकार से वो शेयर किए गए और अगर केन्द्र सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई भी आदेश देती है कि ऑपरेटिंग लॉसेज वो दिल्ली

सरकार को बेयर करने पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इल्लीगल होगा। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय होगा। दिल्ली की जनता बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैट्रो फेज–फोर जो कि लगभग 104 किलोमीटर से अलग अलग जो कॉलोनीज हैं, अलग अलग जो गाँव हैं, जिसमें दिल्ली देहात के काफी सारे इलाके भी आएँगे, उनको जोड़ेगी, एक लाएबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैट्रो फेज–फोर से सभी दिल्लीवासियों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर केन्द्र सरकार इस प्रकार का कोई भी कदम उठाती है तो वो बिल्कुल गलत होगा और माननीय सदस्यों ने जो ये बात रखी, बिल्कुल ठीक रखी। अनिल बाजपेयी जी हाथ उठा रहे हैं, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गांधी नगर से शास्त्री पार्क आपने कहा तो बिल्कुल आप वो चीज लिख के दें, उसको आगे डीएमआरसी को फॉरवर्ड कर पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको भी जोड़ा जाएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी माननीय मंत्रीगण श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन 55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किए गए

सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान–जन–गण–मन)

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...